outpost was withdrawn in 1978 in spite of strong pressure from the public for its retention. I would, therefore, like to make the following suggestive prayers to the Government of India.

(1) The villagers should be rehabilitated from the P.M's Relief Fund for loss of their working days which badly affected the earning of their daily bread and for the harassment and panic they suffered unnecessarily.

(2) Mr. Tledo, whose house was badly damaged, should also be rehabilitated.

3. The three missing boys must be redeemed somehow or the other.

4. The Assam Rifles's outpost should be immediately reopened to check the free movement of any underground organisation.

I strongly and earnestly appeal to the Union Government, through you, Mr. Vice-Chairman, to kindly take positive steps on the above suggestions under intimation to me. I would also like to submit my humble request to all other hon. Members who are present in this august House and request them to associate themselves with me and support my suggestions irrespective of the political affiliations.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): The Chin National Organisation is a Myanmar-based insurgent group. The insurgents in Burma are fighting the insurgents in India and the poor Indian citizens in those far-flung areas are becoming the victims. I would like to know whether the Government has arrangements to see that the insurgents from outside do not come in and whether the Government has any arrangement to ensure the safety and security of the people in those far-flung areas, Lastly, Sir, I would like to associate myself with Mr. Hiphei. His requests are very simple. I hope the Government will respond to his requests positively.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, while associating myself with what Mr. Hiphei has said, I would like to request the Government that the outpost which was there during World War II may be restored in that border area.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Mr. Vice-Chairman, I would like to associate myself with what Mr. Hiphei has said. I request the Government of India to take immediate steps.

THE MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT BILL, 1995

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Mr. Vice-Chairman, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. D. SALIM): Now I adjourn the House for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock,

THE VICE CHAIRMAN SHRI SATISH AGARWAL) in the Chair.

RESOLUTION DEMANDING AMENDMENT OF CONSTITUTION FOR ESTABLISHMENT OF LOKPAL LOKAYUKTA TO PREVENT CORRUPTION IN PUBLIC LIEF—CONTD.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): So, we resume the discussion on the Private Member's Resolution moved by Shri Mohd. Masud Khan. Mr. Chaturvedi, you continue your speech.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Mr. Vice Chairman, Sir, I want to commend the resolution of my distinguished colleague Maulana Saheb, about the need for establishment of Lokpal and Lokayukta. I had earlier mentioned briefly the background and the perspective of the changing administration. I had also mentoined that the question of the credibility of the Government and the entire political administration is very crucial and relevant for the success of our democratic system. Unfortunately, this credibility has been under strain for quite some time. There is a long background to it. There were hopes during the freedom movement. Fears were also expressed at that time. Rajaji in his Jail Diary in as early as 1921 mentioned that he was afraid that things might not turn up the way we envisaged after the attainment of freedom and he mentioned about some of the ills and evils which baffle us today and which bedevil our society today, in his inimmitable manner.

Even Mahatma Gandhi just on the eve of Independence, and also during his prayer meetings drew the attention of the country cautioning against the decline of political morality and when he got letters from some of his esteemed colleagues from Kerala and Andhra, like Mr. Kellapan, he referred to those letters in the prayer meetings and he said that he expected that the new set-up in the country will never succumb to the allurements, he used the word "of crores". Somehow or the other, things were still on some kind of an even keel because of the euphoria as well as the enthusiasm and the kind of leadership that we had in the early years of our Independence. At least, there was a sense of indignation, there was desire as well as efforts to curb this kind of evil. In Parliament, on one of the earliest occasions when this question of corruption came up, it was Acharya Kripalani who against spoke about this evil which was appointed the Chairman of the Railway spreading its tentacles. Later on, As you know, Mr. Vice-Chairman, he was Anti-Corruption Committee. Since then a number of committees have been appointed and I don't want to go into the details of all of them, but one Committee that really merits mention, certainly because of references very often made to it, is the Santhanam Committee on Prevention of Corruption which was set up in the late fifties. This Committee went into the evil political, administrative and other kinds of corruption in society and made its recommendations for legal and institutional remedies. This Committee also felt the need for moral and social rejuvination in this country and it pointed out that the laws may not always be adequate to respond to the evil of corruption and that is why it is the Disapproving climate of public opinion, assertive and efficient public opinion, which is necessary. Sir, I think, this Resolution seeks to serve that particular purpose. So far as corruption is concerned, there are a number of unfortunate cases in the country. As I said, earlier there was some kind of moral indignation. We know the Mundhra deal and all that it led to. We are also aware that in the Sirajuddin case there was a mention of only Rs. 10,000/- and Shri K. D. Malaviya had to resign or Pandit Nehru asked him to resign. We know also that it was Mr. Kairon, the then Chief Minister of Punjab, against whom an inquiry was set up. He was really not personally held responsible for many acts which could be construed as acts of corruption, but the use and abuse of authority that he ignored on behalf of his sons and family members which attracted attention. We know many other cases, Bakshi Ghulam Mohammed, later on, Mr. Biju Patnaik in Orissa, and Maha Maya Prasad, in Bihar and quite a few other inquiries were there. Unfortunately, in our country this issue has never been taken to its logical conclusion and that is why there is some kind of a shadow today on the working of the democratic system in our country. As the House knows, Sir, there is only one instance of a Minister being punished and sent to jail. That happened

because there were stalwarts like Nehru and Patel who saw to it that the Industry Minister of the then State, I think, Rewa State,..

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): That was Vindhya Pradesh.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: It was the Industries Minister who went to jail. I am not saying that things here in India are only bad and elsewhere everything is hunky-dory. The point is the Watergate scandal took place and somebody had to pay a price. Before that, the Vice-President Agnew had to pay for his misdemenaurs. How many Japanese Prime Minister have gone on charges of corruption? I think about 4-5 in the last 3-4 years. Quite a few of the Italian Ministers and politicians are behind the bars. That means, at least there is an effort to take action. There is a desire on the part of the people to ensure that probity in public life, purity in political life is maintained and promoted.

Sir, Edmund Burke had warned us that among the public generally corrupt, liberty cannot last long. We know what happened just at the time and this is in the memory of many of us, in Chiang Kai-Shek's China. We know even a literary savant like Romain Rolland mentioned about it. He ascribed the fall of France to corruption in the country, "corruption without indignation" that was being tolerated by the people. Unfortunately, the kind of a situation that has arisen in our country is that there is a general feeling that there is acquiesence in, there is tolerance of this particular evil. The other day, Sir, I will say it in Hindi, the experience of somebody retired from the World Bank.

वर्ल्ड बैंक से रिटायर होने के बाद वे सब्जी खरीदने गये । जो तोल रहा था उसको उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर देखता है, तुम चोरी क्यों करते हो, तुम चाहो तो पैसे ज्यादा ले लो । तो उसने जवाब दिया कि चोरी कौन नहीं करता है । जो जितनी बड़ी चोरी करता है, उतने बड़े पद पर जाता है ।

फिर उसने कहा कि साहब आप चोरी नहीं करते हैं । उन्होंने कहा कि कैसे ? उसने सोचा कि वह यनीवर्सिटी में पढ़ाते है । तो उसने कहा कि क्या आप 10 बजे चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में । उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता लेकिन बात थोड़ी बहुत जरुर सही है ।

This is the ethos. This is the climate of opinion that is being built up. This is how the people look at us. Of all the pillars of democracy in this country about the Executive, the less said the better; I do not want to go into it. They refer to a series of scandals and scames and what is happening every day! Only I draw your attention to items which have appeared in the newspapers of this morning. You just take up any daily newspaper, whether Hindi or English or Urdu or anything for that matter. Sir, this morning in the 'Pioneer', you will find this: "The Bureaucrats, the big bazars and the bribery, the big money..." This is the 'Pioneer' of this morning. This allegation has been referred to in this House. A number of articles on this subject have appeared earlier, then Questions have come up here. And the tragedy in this: Do you think that the people complained against will go on file, any defamation suits? Even if they do, nothing happens. 'Bureaucrats, Bribery and big bungalow bazars': this is there in the 'Pioneer' of today. You take yesterday's 'Indian Express' in which the three public sector undertakings of Bihar have been mentioned. It has been said that these three constitute the crade of corruption." I am not going into the facts. The Government does not deny it, does not clarify the position, with the result that people think what has appeared in the Press is true. You

yourselves are saying that education is spreading, the people are reading newspapers in the villages and they believe that all this in newspapers is the gospel truth. That is very unfortunate. I am not going into the details of these cases. I am not going into the facts at the moment. But, the feeling among the people is very important and this is the feeling which somehow or the other sustains or undermines the faith in the system in which we are working. That is what is happening today. People ask how does sudden *kayakalap* take place when a person becomes Minister or a person becomes an MP or an MLA with four houses, or two cars? This is that the common people say. Why has this feeling arisen? The same is the case when we talk about the bureaucracy about which I have made a mention. I would like to say something more about it because the Minister of Personnel is present here. I have also known something of the rules which govern them Only a week back, there was an article by an officer not less than the rank of a Joint Director. What he says is this: "Incestuous relationship between the politicians and the bureaucracy." It goes on like this. I thought first that if such an article is written by an officer, he has to substantiate. It is also his duty to go into these facts and bring them to the notice of the Minister and *vice versa*. It is also the duty of the Government to find out as to what prompted him to write it. The people, the educated people read these things. What feelings will they have? That is why I feel they say—plague on both the houses, whether it is the politician or it is the bureaucracy. Only two days back, I was just seeing in Delhi papers that the officers of the Delhi Administration were organising a seminar attended by all kinds of people, very knowledgeable people and also the political people, partnership in bending the rules; whether it is bureaucrats or whether it is politicians or whether it is the businessmen. Now, this is the kind of a situation which has arisen and which we are allowing to grow. I think that this is a very dangerous thing to democracy and here the rules of every kind including what governs the public servants and so on are set at naught or ignored.

Sir, we have always held he judiciary in the highest of respect. But, today, again you take the newspaper and you will find that one Supreme Court Bench had to say that it is very unfortunate, and it will undermine the independence of the judiciary if the CBI inquires into it, though we know, after retirement, the house of the Chief Justice of a particular High Court was raided by the CBI and so on. I do not want to go into the details of this because I hold the judiciary in the highest esteem. But, what happened, unfortunately recently, in some of the States... And this was the off-shoot. There are many other things, I do not know. People also began to feel that the system is also cracking and particularly when there was a friction between the Bar and the Bench and the two are interchangeable. It is from the Bar that people go to the Bench and many from the Bench later on practice in the superior courts and so on. This is a very unfortunate situation and that is why self-restraint as preached by our Constitution which is inherent in the making of the Constitution, is extremely important for us to remember. And then, after all it is the politicians who constitute the Houses of Parliament, who make rules and regulations, laws and so on. But somehow the people feel that it is the law, that can be bent, that the law can be ignored and the rule of law is just a misnomer. On the other hand, people think that somehow public corruption is a necessary coefficient of the State craft. We had the anti-defection Act and we know what happened. The way the things are going on, one can go on giving examples, but Mr. Vice-Chairman, for, I do not want to go into many of these things. I would just like to go straight on the question of Ombudsman or the Lokpal. Sir, I also do not want to go into the history of what happened in the other

countries but certainly I will be failing in my duty if I do not bring to the notice that the Ombudsman idea as it is called, Mr. M. C. Setalved, the then Attorney-General mentioned about it as early as 1962 in the Third All India Lawyers' Conference. Many other Jurists, administrators and political scientists mentioned about it and even in 1959, there was a very animated discussion in the two Houses of Parliament. Mr. C. D. Deshmukh, who at that time was the Chairman of the University Grants Commission also made a proposal to this effect sometime in July 1959. Mr. K. M. Munshi also suggested a debate on the subject in one of his speeches in February 1962 and asked for the formation of a permanent tribunal of enquiry. But it was left to Dr. L. M. Singhvi to move a Bill, to move a Resolution and thereafter a number of other eminent persons mentioned about it, and, no less a person than Pandit Jawaharlal Nehru said that the idea fascinated him. He, of course, said a number of other things about growing corruption. You might all recall that Pandit Nehru in 1931 in the Karachi Congress said that the would not make an exception so far as the cases of corruption were concerned, so long as the punishment of hanging was there, while he might make an exception in the case of murder and so on. A number of other things he said and subsequently he expressed the apprehension that corruption was even going to the grass roots. It becomes very important because we are now decentralising power and if it perculates elsewhere, then again unfortunately we do immense damage to the basic structure of our democratic system. Sir, it was the Administrative Reforms Commission in 1966 that really considered this matter in detail and at some length and laid down the main features of the institution. It is paucity not that the time and the tyranny of the Bell prevent me from going in to at least five or six important features that is mentioned. A draft Bill was prepared by the ARC also and the Government introduced a Lokpal Bill in 1968 in Parliament which was referred to a Joint Select Committee. The Joint Select Committee submitted its report in March, 1969. In August, 1969, the Bill was passed by the Lok Sabha. Unfortunately, the House was dissolved by the President in July, 1970.

The Bill, with some modifications, was again introduced in August, 1971, but this also lapsed. This was the second attempt.

A Lok Pal Bill was again introduced in the Lok Sabha by the Janata Government in July, 1977. It was once more referred to a Joint Select Committee of the two Houses. The Joint Select Committee submitted its report. But the Bill lapsed due to the dissolution of the House.

Then, in August, 1985, the then Congress Government introduced another Lok Pal Bill which was referred to a Joint Select Committee. After, about fourteen months' consideration and consultation, the Government withdrew the Bill. We all know the history of it and the reasons therefor. There was a dispute on the question whether the Prime Minister should be brought within the ambit of the Bill or not

Then, sir, in 1989, the National Front Government introduced a Lok Pal Bill which again lapsed when the Government was defeated.

Sir, this has been the track-record so far as this Bill is concerned. It is the responsibility of the Parliament to pass this Bill. The Prime Minister did refer to this earlier. But I am sorry to say that it is not being followed. The matter is not being pursued seriously. The Prime Minister told the House last year that the Government would like to have a debate on corruption; they would like to go into the psychology of corruption; they would like to go into the anatomy of corruption. We know what immense damage it is doing to the country in the political field, in the moral field. It is mainly because, as the Gita says, 'After

all, the path the big people tread, the others would certainly follow".

Therefore, this is the situation. So far as this issue is concerned, the Prime Minister said in this House clearly, in very positive terms, that he would welcome the Prime Minister also being brought within the framework of this Bill. He also mentioned that the Government was working on it. In the newspapers also, once or twice, a similar item appeared. But we do not know what the position now is as regards the proposed Bill. That is why, I thank, my distingnished friend here has been forced to move this Resolution.

Sir, there are a number of issues involved here. There is the question of the process of appointment of Lokpal. It is very important how the Lok Pal is appointed. It is very important how he is appointed so that the Office has overall credibility. The main thing is that the institution should inspire confidence among all sections of the people. If such an institution exists, the kind of political cloud which, somehow or other, surrounds a person when a particular investigation or enquiry commission in set up would disappear because it would never be said that the matter has been politicised. It would go through normal process. That is why it was said that a panel consisting of the hon. Speaker, the Chief Justice, the Leaders of the Opposition and so on should make that recommendation about appointment.

Then, the question is: What should be the scope of work or authority. Sir, it is not only a question of maladministration. Maladministration is at the root of corruption. Delays and so on. There is not much of time left for me. This knowledgeable House is aware of the problem from top to bottom, the way these things happen.

Another question is: what kind of restrictions or limitations ought to be imposed so far as the working of the Lok Pal is concerned, on the person who is so appointed?

There is also the question of composition; whether it should be a three-member body or a single member body. These are matters of detail.

The main thing is that the Lok Pal should be such an institution which encompasses experience of the various spheres, the various segments, of public life in the country because it is not merely a judicial scrutiny. That is why we sholud keep that particular point in view.

Then, there is the question of tenure and status of the Lok Pal. These are very important. I can go into the details of what each Bill had envisaged. But suffice it to say that it should be a Constitutional office. The question is whether you equate it with the
3 P.M. Chief Justice and the other members with the Supreme Court Judges and so on. But then, I do not go into details. Then, the procedure for removal is very important. Again we know how a particular procedure had failed in the case of Justice Ramaswami and created a large number of other problems and misgivings amongst the people. But, still, that is the procedure, for the Constitutional office-holders. That is one of the things that has been prescribed by constitution.

Sir, the basic question that remains is maladministration and allegations both be covered. On the question of corruption, how corruption can be defined and so on, it is not necessary for us to go into at this stage.

Again it will be very important as to what particular items we are excluding from its jurisdiction and in these days of liberalization when contractual obligations are becoming a very dominant feature of the entire working of the economic system, it is essential that we do adequate thinking in the matter. The questions arise, how the complaints sh could be received and how they should be screened and what the investigation machinery should be because, unfortu-

nately, the investigation machinery can also be misused or abused. And the laws can be used lawlessly. Similarly, the rules can also be misused or abused. Unfortunately, a new type of corruption has arisen, that you threaten the corrupt with the papers or the records that you have, that action will be taken against somebody and thus the loyalty is squeezed. We had, recently, the pathetic spectacle of this kind of a thing. We found a Minister roaring like a lion that he was coming to give a statement, and we know that the press—a sober press—had mentioned a large number of things—I do not want to repeat it—and then there was a sudden silence on the part of the Minister. That is why the investigation process, the investigation machinery, is very important. If I mention the CBI, Mrs. Margaret Alva may take it amiss, but I am sure she will not. There is a possibility that sometimes there is an inclination to abuse and misuse this machinery, and that is why this possibility should be excluded or there should be some kind of an insulation from politics. I think that is very important.

And then, the plea about secrecy of information, etc. is there. We know the Act that we have. These are very important matters which, I think, will need our consideration and the Government's consideration when they bring forth the Bill.

It will be a very fortunate thing if the question of the Prime Minister or any other Ministers exculsion is no longer there. Sometimes it is said that the bureaucracy can be left out because the institution of CVC, etc., has been set up for them. I am afraid I had used the words that you insist on censorship. Somehow or other, there is some kind of a linkage at times. Umpteen cases I can give for the last 12 years which make it incumbent actually that the higher authorities both in bureaucracy and politics, should be within the ambit of this Bill. Then there is another important point. To whom should the report go or can they take *suo motu* action? Whatever institution is set up, it should be consumer friendly, user friendly and it should not be very forbidding. In England, Parliament Members forward the complaints. Because we are a big country, we have also to see how serious complaints and non-serious complaints can be screened and what can really be done. One suggestion I certainly have to make is that there should be a Parliamentary Committee. We have so many Standing Committees. If the Lokpal Bill is brought, reports of the Lokpal, apart from the action that would automatically follow, should be submitted to a Parliamentary Committee. Then, I think, these reports can also become, somehow or other, the facilitators for administrative reforms in this country because it is only by continuing supervision and not by punitive action that we can set things right. It is a continuing consciousness and an effort at every stage to inject an element of responsibility, a consciousness for excellence and improving things and to do the right things which, probably, will have to be there for things to improve. Sir, meanwhile, even before the Lokpal Bill comes, I will, with due humility, like to suggest this. We have 16 to 18 Standing Committees now. There should be a Standing Committee on Public Ethics. I think, all of us should submit ourselves to that Committee on allegations etc. which are made against us. This is not a noval idea. It is working in a number of countries. The details can be worked out.

I again refer to a specific complaint, a specific article in a financial journal of this country I refrain from naming it. though probably it does need kudos also, which is right, that M.Ps., not all but a few take money. Even the article never meant to suggest all but the feeling exists among the people. That is admission of children to Central schools. It is said that gas and telephone coupons are being

sold. It is widely being talked about. That is why I say that it is the climate of opinion as is building up which undermines the democratic system. It is not from the pedestal of "holier than thou" attitude that I dare speak, certainly not. All of us have feet of clay. With due humility, I want to say that this kind of penumbra of misunderstanding is being created in the political system. The Government must think of how this trend can be curbed. It happens about all that are supposed to be traditional pillars of democracy, and a number of things are said even against the Fourth Estate.

Sir, I have taken a lot of your time. I end by saying that it is also necessary that along with the Lokpal Bill, we should have a Central legislation on Lokayuktas. I do not want to go into the details. As far as I know, at the moment, about ten or eleven States have set up the Lokayuktas. A number of studies have been made about the working of the Lokayuktas in universities and elsewhere. It was set up in Orissa, but the former Chief Minister dismantled it a few years ago. Recently, Punjab also has passed a Bill. Probably the process is on for establishing it there. If there is a Central Bill, a model Bill, that will help. There is lack of uniformity about their powers, functioning and working etc. Fortunately, now, there is a network kind of thing among Lokayuktas. There is some coordinated efforts like conference and so on. This, I think, is a very healthy development. That is why, with due humility, with all respect, I will request the Treasury Benches that Moulana Saheb's Resolution is such which ought to be accepted in spirit. I am sure that there will not be any dispute about it. Serious and sincere efforts should be made by the Government to bring a thorough and comprehensive Bill on the subject before Parliament so that it inspires confidence in the entire political spectrum and in the people of the country as a whole. That will be one of the real safeguards along with vigilance by the people so far as the working of the democratic system is concerned.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for the patient hearing that you have given.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Thank you very much.

Shri S. S. Ahluwalia, Shri Suresh Pachouri, Shri V. Narayanasamy and Shri Virendra Kataria, absent. Shri Naresh Yadav.

श्री नरेश यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सीनियर साथी मोहम्मद मसूद साहब जो संकल्प लाए हैं, उस संकल्प पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं । डा० राम मनोहर लोहिया जो इस देश के महान चिंतक रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि :

"तेरे भी मेरे चुप, मेरे भी तेरे चुप ।"

मेरे मामले में तुम चुप रहो, तुम्हारे मामले में मैं चुप रहूंगा । और यह सिलसिला पूरे देश में, विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में भी चल रहा है । इसका परिणाम यह है कि देश का एक करेक्टर होता है, चरित्र होता है और इस देश के चरित्र का हनन हो रहा है। मैं इस माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवानों ने महान स्वतंत्रता सेनानी ने, महात्मा गांधी जसे संत के नेतृत्व में अगुवाई करके देश को आजाद किया, आज हम उसी के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं । कि देश के सबसे शीर्ष पर आसीन व्यक्ति पर अगर भ्रष्टाचार की उंगली उठ जाए तो इससे बड़े शर्म की बात इस देश में और कुछ नहीं हो सकती । इसलिए मसूद साहब ने जो बात अपने माध्यम से उठाई है, इसके लिए मैं निश्चित चाहूंगा कि संविधान में संशोधन लाकर के लोकपाल बिल को कानून का रूप दिया जाए और इसके घेरे में प्रधान मंत्री से लेकर के एक चपरासी तक भी रहे । इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर इस

देश का चरित्र नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार-रूपी जो नाग आज है, आपने, हमने, सभी ने आजकल देखा होगा—दूरदर्शन पर एक सीरियल चन्द्रकांता का चल रहा है। चन्द्रकांता को जब गुस्सा आता है तो वह सांप से अपने को डसवा लेती है। उसका सारा शरीर विषमयी हो जाता है। इसलिए आज इस हिन्दुस्तान का सारा शरीर विषमयी हो चुका है। जो व्यक्ति, जो संस्था हिम्मत करता है, हमारे यहां विद्वान माननीय सांसद बैठे हुए हैं, जो मेरे पूर्व बोल रहे थे, जो हिम्मत करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का, उनको सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज यह जो गंभीर मामला है, इस पर सभी को बिना किसी पार्टी के भेदभाव के, राजनीति से ऊपर उठकर के जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठ करके इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर इस देश को हम कहां ले जा रहे हैं, इस देश का स्वरूप हम कैसा देना चाहते हैं ? वरना हमारा जो मूल स्वरूप है, उपसभाध्यक्ष महोदय, हम सभी इस बात को जानते हैं कि संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया गया है। उस संविधान में राईट इक्विलिटी है और रूल आफ लॉ से हम गाईड होते हैं। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज जो कुछ तथाकथित क्लास है, जो इस व्यवस्था से लाभांवित वर्ग है, उनके लिए ऐसा लगता है कि कानून का, संविधान का सारा प्रोटेक्शन उन्हीं के लिए है और जो हैव नाट्स नहीं हैं, उनके लिए इस देश में कहीं कुछ नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मसूद साहब जो बिल लाए हैं, निश्चित तौर पर इसको पारित करना चाहिए और संविधान में संशोधन लाना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (**श्री सतीश अग्रवाल**) : बहुत-बहुत धन्यवाद। नरेश यादव जी, आपने बहुत थोड़े समय में अपनी बात कहदी।

श्रीमती चन्द्रकला पांडय (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शायद हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जिसे खामोश अदालत जारी है, का माहौल कह सकते हैं। हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां भ्रष्टाचार समाज के हर अंग में प्रवेश कर गया है। मैं माननीय मसूद खान द्वारा लाए गए बिल की पारम्परिकता, इतिहास, प्राचीनता की तह में न जाकर क्योंकि माननीय सदस्य श्री चतुर्वेदी जी बिस्तारपूर्वक बात कर चुके हैं, केवल थोड़ी सी बातें कहूंगी। आज के युग में जो भ्रष्ट नहीं, उसे लोग बेचारा, सीधा-सादा या बेवकूफ कहते हैं। जिस तरह की बातें प्रायः शिक्षा जगत में हमें देखने को मिलती हैं, शिक्षा से मैं जुड़ी हुई हूं, यह बिल लाकर हम राजनीतिक क्षेत्र में तो सुधार लाना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना चाह रहे हैं लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, उसके लिए भी अगर इस तरह के लोकपाल और लोकायत की व्यवस्था की जाए और लोकव्यापी भ्रष्टाचार को देखा जाए तो शायद उचित होगा।

कांग्रेस कार्यसमिति ने आर्थिक सुधारों के लिए तो पैनल बनाए हैं लेकिन कोई ऐसा पैनल कभीनहीं बनाया जिससे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। पिछले लंबे अर्से से सरकार लोकपाल कानून को लागू करने से कतराई है क्यों ? आजादी के बाद अब तक हजारों मंत्री केन्द्र और राज्य में आए उन पर आरोप भी लगे किंतु उनके विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि हमारा वर्तमान भ्रष्टाचार निरोधक कानून वास्तव में भ्रष्टाचार व्यवस्था का ही संरक्षण करता है। सरकार की अनुमति के बिना अभियोजन कार्यवाही नहीं की जा सकती और सरकार को स्वीकृति देने में या तो वर्षों लगते हैं या

स्वीकृति ही नहीं मिलती । भारत में हम अनेक रूपों में भ्रष्टाचार देखते हैं । एक विराट देश के लिए जिस प्रकार से भूमि सुधार सबके लिए शिक्षा और शिक्षा द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास, सबके लिए रोजगार की लंबी-चौड़ी योजना थी वह केवल कागजी कायदे बन कर रह गई है। सरकारें आ रही हैं जा रही हैं । राजनीतिविदों और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ बढ़ रही है । कहीं शेयरों में घपला है कहीं चीनी कांड, कहीं बोफोर्स कांड, कहीं गोल्डस्टार घपला है ऐसे में मैं लोकपाल प्रस्ताव का समर्थन करती हूं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में एक धारदार हथियार का काम कर सकता है। जब भी केन्द्र और राज्य स्तर पर राजनैतिक नेतृत्व या मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का कीचड़ उछाला जाता है, इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार की ओर से लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की चर्चाएं शुरु हो जाती है । पर इस पर गंभीरता से विचार न करके इसे लागू नहीं किया जाता, यह क्या बात है ? संसदीय जांच समिति के परिप्रेक्ष्य में कुछ केन्द्रीय मंत्रियों पर जब लगे कदाचार के आरोपों के सिलसिले में गत वर्ष अगस्त के महीने में कार्मिक कार्यों की राज्य मंत्री श्रीमती मारग्रेट आल्वा जी ने भी राज्य सभा में कहा था कि केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक व्यापक लोकपाल विधेयक लाना चाहती है । श्रीमती आल्वा ने लोकपाल विधेयक के बारे में सरकार की जिस मंशा को प्रकट किया था वह अपने आप में पहली बार नहीं आई । यह बात खुद उन्होंने स्वीकार की है कि सन् 1968 से सरकार कम से कम छह बार लोकपाल विधेयक पारित करने का प्रयास कर चुकी है लेकिन विपक्ष के साथ विभिन्न मुद्दों पर सहमति न हो पाने के कारण लोकपाल व्यवस्था अधर में लटकी हुई है । यह बात साफ है कि सरकार भले ही इस बारे में एक आम सहमति बनाने की बात कह रही हो परंतु अभी तक इस व्यवस्था की जांच सीमा के बारे में मजबूत सहमति का आधार तैयार नहीं हो सका है । क्या सरकार इसमें कानूनी पेचीदगियां महसूस कर रही है और अनुभव कर रही है कि कहीं इस व्यवस्था का सहारा लेकर प्रधान मंत्री पद को खतरे में न डाल दिया जाए। परंतु यह भी तथ्य है कि बोफोर्स और गोल्डस्टार जैसे घपलों के कारण प्रधान मंत्री पद और उनका परिवार इन आरोपों से निरापद नहीं रह गया है । इस कथन में कुछ तो दम है ही कि स्वच्छ निर्मल प्रशासन के लिए व्यक्तिगत तौर पर आचरण की शुद्धता परम आवश्यक है और जहां गंगोत्री से भ्रष्टाचार स्रवित हो रहा हो, वहां प्रशासन की सम्पूर्ण धारा से निर्मलता की खोज करना उपहास मात्र है । लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था का स्वरूप परीक्षण के बाद काफी कुछ परामर्शदाता का होता है । केन्द्र और राज्य सरकार के विरूद्ध यह जरुरी नहीं है कि वह उसकी सिफारिशों को यथावत स्वीकार कर ही ले । देश के कई राज्यों में अब तक लोकायुक्त कार्यरत हैं जिसमें से एकाध राज्यों में मुख्य मंत्री इसकी जांच सीमा के भीतर हैं । जिन राज्यों में यह व्यवस्था मुख्य मंत्रियों पर भी लागू है, वहां भी इन लोकायुक्तों का भ्रष्टाचार निवारण में कोई बड़ा योगदान नहीं हो पाया है । कई राज्यों में लोकायुक्त एक निरीह प्राणी के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिनके पास कोई खास काम नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं है कि इन राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिविदों तथा अपराधियों के बीच बढ़ती सांठ-गांठ के फलस्वरूप भ्रष्टाचार लगातार नए आयाम ग्रहण कर रहा है । उस पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी नियामक की आवश्यकता है परंतु अभी तक उसका जो रूप उभर कर सामने आया है उसी ढांचे में लोकपाल की व्यवस्था की जाए । यह सार्थक होगा कि नहीं, इसमें संदेह है । सच्चे अर्थों में कहा जाए तो भ्रष्टाचार को दूर करने का ऐसा कोई रेडीमेड करिश्मा नहीं है । भारत जैसे बड़े देश में लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना कर जीना सीख लिया है। अगर जांच करने चलें तो समझ में नहीं

आता किसे पकड़ें, किसे छोड़ें ? ऐसे में सब चुप हो जाते हैं ।

"किस किस का नाम लीजिए,
किस किस को रोइये,
आराम बड़ी चीज़ है,
मुंह ढक के सोइए ।"

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on an important issue that affects the whole nation.

Today, this Resolution has been brought before us to urge the Central Government to enact a law for the establishment of a Lokpal/Lokayukta. The Resolution also suggests how it can function. As far as Tamil Nadu is concerned, in 1973, we had passed a law called the Tamil Nadu Publicmen (Criminal Misconduct) Bill, 1973. It was passed in 1973 itself. That would fulfil the ambition of the Mover of this Resolution. By that Bill, he could prosecute not only the Mayors, Deputy Mayors, Chairmen, Vice-Chairmen, any public servant and the Cabinet Ministers but also the Chief Minister. We could prosecute the Chief Minister also. It was passed in 1973. But, unfortunately, in 1977, that particular Act was repealed by Act VI of 1977. Since that particular Act, the Tamil Nadu Publicmen (Criminal Misconduct) Act, was repealed there has been no other way to prosecute except after taking permission from the Governor. That is the situation in Tamil Nadu now. I do not want to go into any particular problem. I want to deal with general issues.

An immovable or movable property of a Government should not be purchased by any Minister or Chief Minister. In the same way, a Minister or the Chief Minister of a State should not sell his property to the Government concerned also. It forms part of the Code of Conduct for Ministers. If any Minister or Chief Minister violates this Code of Conduct, it comes under the purview of corruption.

The terms and conditions for obtaining tenders for any import by a State Government or the Central Government should be in such a way that ultimately the benefit should go to the Exchequer of the Government. The norms fixed under the terms and conditions should not be changed or diluted to benefit the contractors. If there is a change in that manner, it is nothing but favouritism. Therefore, it is one of the methods of corruption.

If a citizen violates the law of the land, he would be put behind the bars. If the Government does it in the name of exception, without any proper reason or rhyme, how can we accept that as one of the administrative decisions, that too, when the decision taken by any Government affects the ecology or environment or gives rise to causes of pollution?

Another practice has come into existence now. That is the practice of announcing a hike in the tax on some commodity or service and subsequently reducing the tax after having received bribe from the people affected by that announcement.

As you know, some institutions cannot run without the recognition of Government. Teachers' Training and Para-Medical Courses are examples of that. If monies change hands from the sponsors of the institution to a member or members of the Ministry of a Government, then they are able to get recognition immediately, even if that particular course or tratning is not at all necessary due to the abundant availability of hands trained in the same field in the same State. Sometimes, the sponsore of institutions are able to get recognition contrary to the advertisement made by the same Government. And what these sponsors give as bribe

are included in the amount collected as capitation fee from the students. Education, therefore, is being commercialised in this way.

Now, after the liberalisation policy has been implemented, in one way it opens a gate of corruption also. In the name of disinvestment or giving up rights or offering rights issue in favour of some individuals, the rulers can amass wealth at the cost of the public. Even if it is opposed by any right-thinking officials, they are either intimidated or assaulted physically and in the end, they are fired and shown the door.

Some profit-making institutions are being handed over to the private capitaltsts and nothing has been spared. Even the educational institutions like the medical colleges are being bequeathed to the persons who have indulged in anti-people policies like manufacturing or selling of liquor. Another way of earning money is by instructing some individuals or companies to construct or repair buildings, stadia and dams even though it involves a huge amount of tax payers' money. The people who are undertaking this type of works without any tender or quotation, are paying kickbacks to the persons who have to decide the allotment of such works.

Sometimes, what we find is that what a Government sector is exporting, the same items are being exported by the private businessmen also. The only difference is that the Government sector is exporting it at a lower price whereas the private sector is exporting it at an exorbitant price. We can very easily inter that the difference is being pocketed by the people in power. Therefore, corruption is not taking place in one particular field only. It has become all-pervasive. It is there in purchasing of goods, it is there in the selling of goods. In import and export of goods, corruption is there. It is there while giving contracts. In all these transactions, corruption is there in one form or the other. Suppose, granite is being exported. They can make arrangements. If coal is being imported, they can do it in tonnes. But, the Government is purchasing soyabeans and other nutritional food-items for the school children without inviting any tenders. The Government ought to invite the tenders, then they have to tabulate it; then they should call the quotations, then do the tabulation, ensure the price and quality and then only should place orders to purchase it. But, when the Government is doing it without calling any tenders, without calling any quotations and without any tabulation, automatically the said transaction comes under the purview of corruption. There is a lot of nepotism and favouritism. Those who are holding high positions in the Government sector they do things by taking money. Then there is a lot of nepotism. Those who are in power, they favour their own kith and kin. If a particular job is done by a Government servant in order to oblige his friend or for some extraneous considerations, then it comes under corruption. In 1973, when the DMK was in power, Dr. Kalaignar had got inserted one provision in the Act. So, we can make use of that provision and can invoke this provision in such cases. But, when there is no statute then there is no other go except to approach the Governor to get the prosecution orders. Then, what do they say? They say that the Governor is misbehaving It is not so. The intention of the present resolution is very good and noble. It says that a Constitution amendement Bill should be introduced in Parliament to enact a law for the establishment of Lokpal or Lokyukta with the provisions that it should cover all the Ministers, representatives of the people and officers of the Government at various levels and all the necesary powers should be conferred on the proposed authority to do the needful. If the required provisions would be there in the Statute Book, then the Governor need not intervene in such matters. Straightway a person can be prosecuted under the provisions of the relevant law and there is no need to approach the

Governor for allowing the sanction to prosecute the concerned person. During the last fortnight, I noticed how the people are exchanging views among themselves. Sometimes, contrary views are being expressed. But, many people do not know that such Act was passed and then it was repealed and so on. But when the rulers themselves are indulging in corruption, automatically, it would become all-pervasive and can be seen in all walks of life.

Then, we have to do something on the social front. For exmple, if a Government officer has two daughters and they are to be married, it is a big problem for him. Unless he is able to arrange at least three lakhs of rupees, he can't marry them. Suppose he wants to marry his daughters to an engineer or a doctor. Then what is the amount that he needs? It is five lakhs or ten lakhs. He cannot spend such a huge amount from out of his income. Even though he wants to do it in a proper manner, he cannot do so. Whether he is willing or not, he is forced to enter into corrupt deals. That is a social stigma. Sir, we are speaking a lot about the Voluntary Retirement Scheme. If you go through the Voluntary Retirement Scheme, you will find that most of the people have left the jobs at the age of 52 years or 53 years. When they are able to work up to 58 years of age, why do they want to go at the age of 52 years or 53 years? They want to see that their sons become doctors or engineers. If a person wishes to seek admission in some medical course, he has to pay a sum of five lakhs, and that too when they are opposing the capitation fee. People are telling us that you are not paying salaries to them. Those who are having money are paying the capitation fee because they want that their sons become doctors or engineers. What is happening is, when a person, after having paid only Rs. 10,000|- or Rs. 12,000|- becomes a doctor, he will charge only Rs. 10/- or Rs. 15/- for an injection. but if the same person becomes a doctor after having paid Rs. 5 lakhs or Rs. 7 lakhs, he will demand Rs. 50|- for an injection. A person who works from dawn to dusk will have to pay it from his pocket. This is the fact which we will realise only after three or four years. Then people will understand what GATT is, what privatisation is, what globalisation is. After the Patent Bill is passed—Sir, I tell you that they are going to pass it with a majority—a medicine which we are buying at the rate of Rs. 5/- is going to be sold at Rs. 15|- or Rs. 17|-. A medicine costing Rs. 7|- will be sold at Rs. 10|-. For a medicine costing Rs. 10|- or Rs. 15|- a person has to spend Rs. 50/- A patient has to spend Rs. 125/- or Rs. 150|- instead of Rs. 15|- Rs. 20|-. That is all because of the policy pursued by this Government. Therefore, what I feel is this. When a man is not able to pay such a huge amount and he wants to seek admission in some course, what is the alternative before him? Then he will adopt corrupt means. Whether he is willing or not, he indulges in corruption. The policy that we are adopting is also, more or less, creating corruption. That is the tragedy. The social policies we are adopting are also abetting corruption. Therefore, in all fields the economic field, the social field and the political field we see that the root cause of this corruption is black-money. Until and unless the root cause of corruption is wiped, out, we cannot eradicate corruption because the people who are indulging in corrupt methods are not depositing all the blackmoney here.—they are depositing it in Singapore, Malaysia, Switzerland or America. They are depositing it in the Continental Banks. If you are going to charge them, they will go to foreign countries and will become citizens of those countries. If they go to the United States and settle there, after swindling the public money, say Rs. 500 crores or Rs. 1,000 crores, what can you do? I ask you whether in the last fifty years we have sent anybody to three months' imprisonment, after his having indulged in corrupt practices. No, it has never happened. So, people

think that they can adopt corrupt methods and that they can wipe out corruption only after indulging in corrupt methods. With this idea they are indulging in corruption. I hope that the Government will take the responsibility to ensure that those who are indulging in corruption would not escape from the clutches of the law. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री जगालुदीन अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जनाब मोहम्मद महमूद खान साहब जो संकल्प लाये हैं उसका हम समर्थन करते हैं । इसलिए कि आज हमारे जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतने प्रभावी ढंग से काम कर रहा है कि आज हमारी राजनैतिक, नैतिक और सामाजिक जो मान्यताएं थीं, जिन राजनैतिक, नैतिक और सामाजिक मान्यताओं को लेकर हमारे देश के नेता आगे बढ़े और जीवन के हर क्षेत्र में एक साधुवाद चलाने की सादगी, सच्चाई और ईमानदारी की जो परिपाटी चलाई थी आज 47–48 साल के शासन में यह सारी मान्यताएं करीब-करीब समाप्त है । आज सत्ताधारी लोग जो बैठे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है ? आज यह गैर सरकारी संकल्प लाने की जरूरत नहीं थी । अपने देश में हाल के दिनों में कांड हुए, बैंक प्रतिभूति घोटाला हुआ, चीनी घोटाला कांड हुआ । उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री और शासक दल को चाहिए था कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके । भ्रष्टाचार करने वाले चाहे जिस स्थान पर हों, चाहे वह प्रधान मंत्री हों या मंत्रीगण, सांसद हों या विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकारी पदाधिकारी, उन तमाम लोगों के भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाई जाए । रोक लगाने की बात और इस तरह के कानून बनाने की बात आज इसलिए जरूरी हो गई है कि जीवन के हर क्षेत्र में 47–48 साल में इस देश के शासक वर्ग ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है । आप देखते है चुनाव जीत करके लोग आते हैं कितने खर्च किए जाते हैं । चुनाव आयोग कहता है डेढ़ लाख रुपए खर्च होंगे । टी०एन० शेषन का भी काफी नाम हम लोग लिए, कुछ अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन यह साढ़े तीन महीना चुनाव कराया और डेढ़ लाख खर्च होता । मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई मानदंड अपने राजनीतिक जीवन में नहीं है तो उसका असर सामाजिक और आर्थिक जीवन पर, सांस्कृतिक जीवन पर पड़ेगा । और आज बाध्यता इस कानून को लाने के लिए हैं । एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं जो अनुभव करता हूं इस सदन के सामने में रखना चाहता हूं । आज जो भी जनप्रतिनिधि अपने को ईमानदार रखना चाहेंगे उनको इस समाज में ईमानदार बने रहने के लिए काफी संघर्ष करना होगा । फिर जहां जाइये ऐसा एक सामाजिक वातावरण है. राजनैतिक वातावरण है कि वह आपको

पक्ष में डालने की कोशिश करेंगे । वह दबाव डालते हैं इसीलिए मैं समझता हूं और मेरा अनुभव इस संसदीय पद पर आने का एक साल का बड़ा कटु अनुभव है. स्ट्रगल करना पड़ रहा है । वैसे हम में से कितने लोग होंगे जो स्ट्रगल में विजयी होंगे ? इसीलिए आज जरूरत है कि कोई भ्रष्ट आचरण न करे, भ्रष्टाचार में नहीं डूबे और हमारे देश के राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक और नैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके, उसको रोका जा सके, इसके लिए आवश्यक है । उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से और इस संसद् के माध्यम से चाहता हूं, श्रीमती मारग्रेट आल्वा जी बैठी हुई हैं, दूसरे मंत्रिगण भी हैं, आप प्रधान मंत्री से विचार करें । आप शासक दल हैं । आपकी एक प्रधान जवाबदेही है कि जब देश में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक छा जाए । वैसी स्थिति में इस सरकार का कोई राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य बनता है या नहीं ? इसलिए आप संविधान में संशोधन कर एक बिल लाएं जिसमें कि लोकपाल और लोक आयुक्त की व्यवस्था हो, कानून के तहत उन्हें अधिकार हो कि जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, फिर चाहे वह जन-प्रतिनिधि हों या सरकारी पदाधिकारी हों, उनके भ्रष्टाचार के कार्य-कलापों की वह जांच कर सके ताकि दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके और भारतीय समाज को भ्रष्टाचार से बचाया जा सके । इसके लिए आपकी सरकार का कर्तव्य बनता है कि आप एक सामाजिक विधेयक लाइए, नहीं अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी आग है जोकि आपको भी जला देगी और समाज को भी जला देगी और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा । आप समय रहते भारतीय समाज को इस कोढ़ से, इस भयंकर बीमारी से बचाइए जोकि आज हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में एक असाध्य रोग बन गया है और जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता । अगर कोई आवाज उठाए, तो उसे शासक दलों की ओर से सबक सिखाया जाता है । इसलिए एक समय था कि लोग राजनीतिक जीवन में कबीर दास जी की कविता का उदाहरण देते थे कि—

"कबीरा खड़ा बजार में, लिए लुकाटी हाथ
जो घर तापे आपना, आए हमारे साथ ।"

यह वह समय था जबकि समाज सुधार का अर्थ था—त्याग, सेवा, बलिदान और ईमानदारी । लेकिन आज स्थिति क्या है ? कितने लोगों के लिए राजनीति सेवा रह गयी है बल्कि आज के संदर्भ में तो राजनीति दल-बल के बहुमत से मेवा-ही-मेवा है और उस मेवा की जड़ है यह भ्रष्टाचार । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

आपके और इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी और शासक-दल से कहना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में एक व्यापक बिल लाइए नहीं तो आप भी जाइएगा और साथ में समाज भी डूब जाएगा। आपका कर्त्तव्य बनता है, आपका यह दायित्व बनता है कि भ्रष्टाचार से इस समाज को निर्मूल कीजिए समाज को उससे बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि आप एक व्यापक बिल लाइए जिसमें कि लोकपाल और लोक आयुक्त की व्यवस्था हो। हालांकि अभी राज्यों में कई साथियों ने इसकी चर्चा की लेकिन वह निर्जीव है और ऐसे लोकपाल और लोक-आयुक्त की व्यवस्था से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यह फंक्शन ही नहीं करता काम ही नहीं करता इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि एक ऐसा बिल लाया जाए जोकि व्यापक हो ताकि इस बीमारी को इस कोढ़ को समाप्त किया जा सके और समाज के साथ न्याय किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद [illegible] हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बहराइच): [illegible] जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जनाब मोहम्मद मसूद खान साहब ने जो सब्जेक्ट लिया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसलिए कि आज हमारे देश में [illegible] देश के

हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने पैर पसारे हैं और बड़ी ढिठाई से काम कर रहा है कि आज हमारी राजनीतिक, नीतिक और सामाजिक जो मान्यताएं थीं, जो राजनीतिक नीतिक और सामाजिक मान्यताओं को लेकर हमारे देश के नेता आगे बढ़े थे और जीवन के हर क्षेत्र में एक सादा जीवन उच्च विचार" चलाने की सादगी, सच्चाई और ईमानदारी की जो परिपाटी चलाई थी आज ४८-४९ साल के शासन में ये सारी मान्यताएं करीब करीब समाप्त हैं। आज सत्तर करोड़ लोग जो बैठे हुए हैं उनकी क्या अवस्था है। आज यह बताने की जरूरत नहीं है। अपने देश में हाल के दिनों में "बोफोर्स" का केस हुआ। बैंक पर तीसरी गोली चली। चौथी गोली चली हुए उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री और शासक दल को चाहिए था कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिस से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। भ्रष्टाचार करने वाले चाहे किस स्थान पर हों चाहे वह प्रधान मंत्री हों या मंत्री गण, सांसद हों या विधायक या कोई भी जन प्रतिनिधि या सरकारी पदाधिकारी। इन तमाम लोगों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। रोक लगाने की बात और इस तरह के कानून बनाने की बात आज इस लिए जरूरी हो गई है कि जीवन के हर क्षेत्र में ४८-४९ साल में इस देश के शासक वर्ग ने भ्रष्टाचार को

[ ] Transliteration in Arabic

[ ] Transliteration in Arabic

راجنیتک اور نیتک اور سماجیک اور نیتک نرپیکشتا جیسی میں بھرشٹاچار کو سماپت کیا جا سکے۔ اسے کور کیا جا سکے۔ اس کے لیے آوشیک ہے

اپ سبھاادھیکش مہودے۔ میں آپ کے ماددھیم سے اور اس سنسد کے ماددھیم سے چاہتا ہوں شریمتی مارگریٹ الوا جی بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیش کی منتری بھی ہیں۔ یہ پردھان منتری جی سے وچار کریں۔ یہ شاسک ورگ ہے۔ انکی ایک پردھان جواب دھی ہے کہ جب دیش میں بھرشٹاچار نیچے تک پھیل چکا ہے ویسی اسستھی میں اس سرکار کا کوئی راجنیتک اور نیتک اور سماجیک نرنیہ بنتا ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ سمودھان سنشودھن کا ایک بل لائیں جس میں کہ لوک پال اور لوک آیکت کی ویوستھا ہو۔ قانون کے تحت انھیں ادھیکار ہو کہ جو بھی بھرشٹاچاری لوگ ہیں۔ پھر چاہے وہ جن پرتینیدھی ہوں یا سرکاری پرادھیکاری ہوں ان کے بھرشٹاچار کے کاریوں کی وہ جانچ کر سکیں تاکہ دوشی پائے جانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جا سکے اور بھارتیہ سماج کو بھرشٹاچار سے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے آپ کی سرکار کو کرنا یہ بنتا ہے کہ آپ ایک سامائیک ودھیک لائیے۔ نہیں ابھی تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن بھرشٹاچار ایک ایسی آگ ہے جو کہ آپ کو بھی جلا دے گی اور سماج کو بھی بڑھاوا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چناؤ جیت کر کے لوگ آتے ہیں کتنے خرچ کیے جاتے ہیں۔ چناؤ آیوگ کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ ہونگے۔ ٹی۔ این سیشن کا بھی کافی نام ہم لوگ لیے۔ کچھ اچھا کام کر رہے تھے لیکن یہ ساڑھے تین مہینہ چناؤ کرایا اور ڈیڑھ لاکھ خرچ ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مان دنڈ اپنے راجنیتک جیون میں رہا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا اثر سماجیک اور آرتھیک جیون پر سانسکرتک جیون پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اور آج بادھیتا اس قانون کو لانے کے لیے ہے۔ ایک جن پرتینیدھی کے ناطے میں ہو انو بھو کرتا ہوں اس سدن کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں آج جو بھی جن پرتینیدھی اپنے کو ایماندار رکھنا چاہیں گے ان کو اس سماج میں ایماندار بنے رہنے کے لیے کافی سنگھرش کرنا ہوگا۔ پھر جہاں جایئے ایسا ایک سماجیک واتاورن ہے۔ راجنیتک واتاورن ہے کہ وہ آپ کو گھیرے میں ڈالنے کے لیے کوشش کرینگے۔ وہ دباؤ ڈالتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اور میرا انو بھو اس سنسد یہ پد پر آنے کا ایک سال کا بڑا کٹو انو بھو ہے۔ اسٹرگل کرتا پڑ رہا ہے۔ ویسے ہم نیتا سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس اسٹرگل میں رہتے ہوں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ کوئی بھرشٹ آچرن نہ کرے۔ بھرشٹاچار نیں نہیں رہے اور ہمارے دیش کے

ان ہی شبدوں کے ساتھ میں مانگ کرتا ہوں کہ آپ ایک ویاپک بل لایئے جس میں کرپشن پال اور لوک آئیکت کی ویوستھا ہو۔ حالانکہ ابھی راجیوں میں کئی ساتھیوں نے اس کی چرچہ کی لیکن یہ نرجیو ہے اور ایسے لوک پال اور لوک آئیکت کی ویوستھا سے کہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ فنکشن ہی نہیں کرتا۔ کام ہی نہیں کرتا اس لیے میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں اور مانگ کرتا ہوں کہ ایک ایسا بل لایا جائے جو کہ ویاپک ہو تاکہ سب بیماری کو۔ اس کوڑھ کو سماپت کیا جا سکے اور سماج کے ساتھ نیائے کیا جا سکے۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ کو دھنیواد دیتے ہوئے اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔

"ختم شد"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Narayanasamy, would you like to speak on this resolution?

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Sir, there are other names. You have already called his name. I have nothing against Mr. Narayanasamy. But he must wait.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Salim, technically you may be correct. But the fact of the matter is that I have the names of four Members from the Congress party who want to speak on this resolution. When I called their names, I found that all of them were absent at that point of time. Now Mr. Narayanasamy has taken care of it on account of the fact that a wrong signal

†[ ] Transliteration in Arabic

جلادے گی۔ اور پھر بچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آپ سمے رہتے بھارتیہ سماج کو اس کوڑھ سے اس بھینکر بیماری سے بچایئے جو کہ آج ہمارے ساماجیک۔ راجنیتک۔ آرتھیک اور سانسکرتک جیون میں ایک ایسا دیمک روگ بن گیا ہے اور جس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی آواز اٹھائے تو اسے شاسک دلوں کی طرف سے سبق سکھایا جاتا ہے اس لیے ایک وقت تھا کہ لوگ راجنیتک جیون میں کبیر داس جن کی کویتا کا اداہرن دیتے تھے کہ...

کبیرا کھڑا بازار میں۔ لیے لکاٹی ہاتھ
جو گھر تاپے اپنا۔ آئے ہمارے ساتھ

یہ وہ سمے تھا جبکہ سماج سدھار کا ارتھ تھا۔ تیاگ سیوا۔ بلیدان اور ایمانداری۔ لیکن آج استھتی کیا ہے۔ [illegible] راجنیتی سیوا رہ گئی ہے بلکہ آج کے سندربھ میں تو راجنیتی دل بل کے بہومت سے میوہ ہی میوہ ہے اور اس میوہ کی جڑ ہے یہ بھرشٹاچار۔ اس لیے مانیہ اپادھیکشہ مہودے۔ میں آپ کے اور اس سدن کے مادھیم سے پردھان منتری جی اور شاسک دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سمبندھ میں ایک ویاپک بل لایئے نہیں تو آپ بھی جایئے گا اور ساتھ میں سماج بھی ڈوب جائے گا۔ آپ کا فرض بنتا ہے۔ آپ کا یہ دایتو بنتا ہے کہ بھرشٹاچار سے اس سماج کو نرمول کیجیے۔ سماج کو اس سے بچایئے۔

†[ ] Transliteration in Arabic

may go out. Now Mr. V. Narayanasamy is here and wants to speak, Otherwise, a wrong signal may go out that nobody in the Congress Party is interested in this. That is why I called him. Otherwise, it will be a one-sided debate. Now, there are four more speakers, including Mr. Narayanasamy. If you want me to call Mr. Malaviya, I will call him, Mr. Narayanasamy, you speak after these people.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will abide by what you say.

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) मालवीय जी हैं, सरकार जी हैं, नंबर थ्री गौतम जी हैं, इनके बाद आप बोलिए। मालवीय जी आप बोलिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री मोहम्मद मसूद खान का जो यह संकल्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने इस संकल्प के जरिए इस सदन का और सदन के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि इस देश में और समाज में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको कम करने के लिए और समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से बहुत जल्दी कानून लाया जाना चाहिए, चाहे वह संविधान में संशोधन करके हो या अन्य प्रकार से हो।

महोदय, मैं अपनी बात कहने के पहले बताना चाहूंगा कि इस सदन में 15 दिसंबर, 1994 को सवाल था श्री जी० जी० स्वेल और प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी का, तारांकित प्रश्न संख्या 122, इस विभाग का जो मंत्री हैं मार्गेट आल्वा जी, इस वक्त मौजूद भी हैं, उस सवाल में उन्होंने पूछा था —

"Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether the Government have taken steps to bring a consensus on the Lok Pal Bill;

(b) if not, the reasons therefor."

The reply given by Mrs. Margaret Alva was as follows:

"The Government's stand is already indicated in the Rajya Sabha during a Short Duration discussion on 2nd August, 1994 to the effect that after the national debate, if all the political parties and the leaders are prepared to sit at the table together and come to a consensus, the Government is willing to come forward with a comprehensive Bill."

This continues to be the Government's position. That was on 15th December, 1994.

इसके चार महीने पहले शार्ट ड्यूरेशन में बहस हो चुकी थी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : एक मिनट, मालवीय जी। इसमें काफी लंबा "इफ" लगा हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वही मैं कहने वाला था। यदि सही पूछा जाए, तो सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है, सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है। सन् 1989 का जो विधेयक है अन्तिम, जिसे श्री दिनेश गोस्वामी ने प्रस्तुत किया था, मेरी समझ में वह काफी पूर्ण है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, चतुर्वेदी जी ने उसकी सारी चर्चा कर दी है, सिवा इसके कि मैं यह देख रहा हूं कि चार बार, जब जब भी विधेयक लाने की कोशिश की गई और जिस लोकसभा ने विधेयक लाने का प्रयास किया वह लोकसभा भंग हो गई। . . (व्यवधान) . .

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : इसलिए तो नहीं ला रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अब तो लोकसभा का कार्यकाल वैसे ही समाप्त होने जा रहा है। अंतिम जो इनका है, उसमें स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट एंड रीजन्स में श्री दिनेश गोस्वामी ने कहा था—

"The Lok Pal Bill has had a chequered history going back to 1968. Having studied the interim report of the Administrative Reforms Com-

mission submitted in 1966 on the subject and the four Bills which were introduced in the Parliament earlier, the Government has come to the conclusion that such a legislation for constituting the institution of Lok Pal is imperative to combat the problem of corruption at higher political levels. In the interest of democracy, it should be the endeavour of every public functionary at top political level to maintain high standards of public morality."

विधेयक में जो पब्लिक फंकशनरी को उन्होंने डिफाइन किया था, उसमें मंत्री, स्टेट मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर के अलावा प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित किया गया था और प्रधान मंत्री जी ने, यहां तक मुझे स्मरण है, जैसा चतुर्वेदी जी ने भी इस बात को कहा, स्वयं इस सदन में कहा था कि व्यक्तिगत रूप से उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि लोक पाल विधेयक लाया जाता है तो उसमें प्रधान मंत्री को भी सम्मिलित किया जाए।

महोदय, अब सवाल यह है कि आज देश की स्थिति यह है कि इस देश की जो जनता है वह प्रत्येक राजनीतिक को भ्रष्ट समझती है। हो सकता है, इस देश की जनता कुछ लोगों को भ्रष्ट न समझती हो, लेकिन मेरा ऐसा तजुर्बा है कि आज राजनीति की हालत यह हो गई है कि इस देश की जनता प्रत्येक राजनीतिक को भ्रष्ट समझती है। और वे यह समझते हैं कि जो व्यक्ति राजनीति में है, वह निश्चित रूप से अवैध ढंग से, गलत तरीके से धन का अर्जन कर रहा है और इसलिए मुझे बात यह याद आ रही है कांग्रेस के प्रेजीडेंट थे के० कामराज, 1962 या 1963 की बात है और शायद भुवनेश्वर में मीटिंग हो रही थी, श्री के० कामराज ने उस वक्त कहा था, उस वाक्य को मैं वरबटिम दोहराना चाहूंगा :-

"Politicins who were paupers have turned millionaires overnight. Politicians who had not a cycle have now become owners of fleets of cars."

यह बात 1963 की है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बैठाने के पहले की और 1968 से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बैठा, वांचू कमेटी की रिपोर्ट आई, संथानम कमेटी की रिपोर्ट आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री त्रिवेदी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की "आस्पेक्ट्स आफ दि ब्लेक इकानमी इन इंडिया" एक रिपोर्ट आई थी 1984-85 में, उस पर भी बहस हो चुकी है इस सदन में लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कम से कम जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हुआ है। मैं इसलिए ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह जो राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको बैठाया था और इसकी रिपोर्ट सन 85 में आई और इन्होंने सन 85 में 1971 में दी गई वांचू कमेटी रिपोर्ट की चर्चा की और कहा मैं उद्धृत करता हूं :-

"... a cancerous growth in the country's economy which, if not checked in time, will surely lead to its ruination."

करप्शन की इन्फेशन की चर्चा की थी वांचू कमेटी ने 1985 के 14 साल पहले 1971 में और उसके पहले, मान्यवर, जब संथानम कमेटी की रिपोर्ट आई संथानम कमेटी की रिपोर्ट में किक-बेक्स की भी चर्चा की गई। उन्होंने इस बात को भी चर्चा की कि ठेके के काम में और बाहर के जो सौदे होते हैं, इसमें किस तरह का पोलिटिकल करप्शन है और संथानम कमेटी ने कहा :

"The rapid expansion of governmental activities afforded to unscrupulous elements in public service and also in public life, unprecedented opportunities for acquiring wealth by dubious methods.' Then, they said, "So the scope for making black income through kickbacks, cuts and commissions on Government proects programmes and purchases is today far greater. Furthermore, there are strong indications that political involvement in such transactions has grown enormously. In earlier years, the need for political finance was largely met through discretionary control over licenses and permits with contributions being made by private industrialists and traders either as direct quid quos or if exchange for explicit or implicit

assurance of generally easy access to licenses and permits. Today we are told, a great deal of political finance is raised from purchases, sales and contracts awarded by different levels of Government and public sector agencies, with orders placed abroad being particularly lucrative propositions."

अब 1985 के बाद इस देश में कितने भ्रष्टाचार हो चुके हैं, कितने घोटाले हो चुके हैं, उसकी चर्चा में मैं जाना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं आज निश्चित रूप से चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में ठोस कदम उठाकर के जितनी जल्दी हो क्योंकि कंसेसस् की बात शायद आज भी करें, तो बहुत जल्दी श्री मर्त. मारग्रेट अल्वा जी को, जो विरोधी दल के लोग हैं या अन्य लोग हैं, उन्हें बैठाकर, बातचीत करके इस संबंध में विधेयक लाना चाहिए क्योंकि लोकायुक्त विधेयक हो, लोकपाल विधेयक हो, संविधान संबंधी अन्य विधेयक हो, वह आज इस देश की आवश्यकता है और इस देश की आवश्यकता इसलिए है कि भ्रष्टाचार तो आज सर्वत्र हो गया है । जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके लिए कानून है—प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट है, आई. पी सी. के अंतर्गत भी उनको प्रोसिक्यूशन हो सकता है लेकिन जो पोलिटकल पावर के लोग हैं, जो करप्शन करते है, उनके लिए निश्चित रूप से इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए मैं त्रिवेदी जी की रिपोर्ट की भी चर्चा करना चाहूंगा । पोलिटिक्ल फंडिंग के सिलसिले में उन्होंने कहा था, श्री आर. के. त्रिवेदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1983 में और उन्होंने कहा था कि :—

"This malady, I am afraid, during the last decade has assumed alarming proportions. The huge expenditure incurred by candidates and political parties has no relationship to ceilings prescribed under the law. The candidates and political parties look to big money bags for their funds to contest elections, thereby, adopting a formula which establishes the changes of winning in direct proportion to the money spent. That in course of time this triggers a chain reaction leading to corruption at various decision-making levels, does not seem to bother them."

जब इतनी रिपोर्ट आ चुकी हैं—संथानम कमेटी की रिपोर्ट, वांचू कमेटी की रिपोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशनर की रिपोर्ट, आस्पेक्ट आफ दी ब्लैक इकोनोमी में खुद यह कहा हैं । इस कमेटी की फाइंडिंग्स यह भी थी कि 1983–84 में 21584 करोड़ से लेकर के 36786 के नीच काला धन इस देश में पाया गया हैं और उसके बाद से कोई अध्ययन नहीं किया गया है । अभी हाल में 25 अप्रैल को इसी सदन में बताया गया कि 1983–84 का जो अंतिम अध्ययन है, उसके बाद से कोई अध्ययन नहीं किया गया है । मैं अपनी बात को बहुत आगे नहीं बढाना चाहता हूं । केवल यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस संबंध में आज बहुत ही स्पष्ट घोषणा करनी चाहिऐ । सरकार को इस संबंध में देश हित में और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार सर्वत्र फैला हुआ है, इसको रोकने के हित में आज कोई स्पष्ट आश्वासन ही नहीं बल्कि उसको कार्यान्वत भी करना चाहिए ।

अंत में, मैं यही सुझाव दूंगा कि मिनिस्टर साहब को बहुत जल्दी दो दिन, चार दिन, पांच दिन में एक मीटिंग बुलानी चाहिए और मीटिंग बुला करके जो ड्राफ्ट मिले उसको सक्यूलेट करना चाहिए और सक्यूलेट करने के बाद कंसेसस हो या न हो, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई विधेयक सरकार की ओर से लाया जाएगा तो सारा सदन एक मत से निश्चित रूप में उसको पारित करने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने उत्तर में मंत्री जी, स्पष्ट रूपमें आश्वासन देकर के इसी सत्र में विधेयक लाने का प्रयास करेंगे । धन्यवाद

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री मसूद साहब के संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज संकल्प लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? माननीय संविधान निर्माताओं ने देश के लोगों को न्याय देने के लिए संकल्प

लिया था—सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का लेकिन आज भ्रष्टाचार के कारण देश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना है, जिसमें हमने संकल्प लिया, वही अर्थ-विहीन हो रहा है। रोजमर्रा हम इसी सदन में चर्चा करते हैं, समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत कर उन पर चर्चा करते हैं, उनका उल्लेख करते हैं और हम उनको उद्धृत करते हैं। इसलिए उसको उद्धृत करने की कोई अब आवश्यकता नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजी 'रोटी' कपड़ा, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय सम्मान सभी देने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कल्याणकारी राज्य है। लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में—बगैर रिश्वत के अच्छे विद्यालय में दाखिला नहीं मिलता, रोजी के लिए बगैर रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी मिल जाए तो बगैर रिश्वत के अच्छी पोस्टिंग नहीं होती। अगर पोस्टिंग अच्छी हो जाए तो बगैर पैसे के प्रोन्नति नहीं होती। अगर प्रोन्नति भी हो जाए तो अच्छी जगह नहीं मिलती मान्यवर, अगर अस्पताल जाएं तो बगैर रिश्वत के दाखिला नहीं मिलता और मरीज को दवा नहीं मिलती। जो बुनियादी चीजें हैं, मैं उनको बतला रहा हूं। वहां ऐक्सरे नहीं होता। अस्पताल के बाहर एक्सरे मशीन लगी हुई हैं। अस्पताल के डाक्टर कह देते हैं कि बाहर करा लीजिए यहां की एक्सरे मशीन खराब है। हमारे देश में बहुतसी चीजें आवंटित की जाती हैं। रहने के लिए मकान बहुत आवश्यक है। यहां पर आरोप लगाए गए कि सरकारी कर्मचारियों को बगैर पैसे के मकान आवंटित नहीं होते। बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के शिक्षा नहीं मिलती, और बगैर रिश्वत के दवा नहीं मिलती, बगैर रिश्वत के मकान नहीं मिलते और मान्यवर, बगैर रिश्वत के आज किसी भी क्षेत्र में कोटा, लाइसेंस, परमिट, एजेंसी, मकान दुकान, फ्लैट, प्लॉट, जमीन, कोई चीज बगैर रिश्वत के नहीं मिलती। और हमारे राजनीतिक लोग जानते हैं, गैर रिश्वत के एम. एल. ए., एम. पी. का टिकट भी नहीं मिलता और राजनीतिक लोग जानते हैं कि बगैर रिश्वतके अच्छे-अच्छे पद लोगों को नहीं मिलते। यह सारे देश की स्थिति है, इसे सभी जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : हां, पर बगैर रिश्वत के बोलने का मौका मिल जाता है। बोलिए..बोलिए..

श्री सया प्रिय ओतम : मान्यवर, आज ठीक उसी स्थिति में हम जा रहे हैं जिस स्थिति में आज से सौ-डेढ सौ वर्ष पहले यह भारत अपराध के जगत में था। इस देश में चोरी के, डकैती के, हत्या के अपराध पहले भी होते थे लेकिन एक ही अपराध के करने वाले विभिन्न श्रेणियों के लोगों को सजा एक सी नहीं होती थी। विभिन्न तरह की सजाएं मिलती थी। अगर कत्ल कोई गरीब आदमी करता तो उसे फांसी की सजा हो जाती थी और कत्ल अगर कोई जमींदार करता तो उसे फांसी की सजा नहीं होती थी। हालांकि लोग कहते हैं कि मनु-स्मृति के जमाने से यह बात चली आ रही है। मगर मैं अंग्रेजों को इस बात की दाद दूंगा। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमने सामूहिक लड़ाई लड़ी लेकिन 1860 में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सारे लोगों को सजा समान मिले, का कानून बनाया जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, "इंडियन पीनल कोड" और इसको धारा दो—

Punishment of offences committed within India:

Every person shall be liable to punishment under this Code and not otherwise for every act of omission of which he shall be guilty.

अंग्रेजों ने यह सबके लिए कानून बना दिया और नतीजा यह हुआ कि जब अमीर को, धन-दौलत वाले को, जमींदार को, राजा को यह मालम हो गया कि कत्ल की सजा तुझे भी फांसी होगी तो अपराधों में कमी आई। मुझे खुद अपने जमाने का होश है? इक्कादुक्का, साल-दो-सालमें कत्ल होते थे लेकिन आज कत्ल की क्या स्थिति है। कोई दिन नही जिस दिन दस बीस, पचास-सौ दो सौ कत्ल नहीं होते हों।

मान्यवर, इस संकल्प में कहा गया है कि लोकतंत्र को खतरा है इस भ्रष्टाचार से। आज चूंकि बडे आदमी को सजा नहीं मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर को सजा नहीं मिलेगी, चीफ मिनिस्टर को सजा नहीं मिलेगी, इसलिए आज मान्यवर, इस डर की वजह से जिन राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री होते हैं उस राजनीतिक दल के लोग बंधुआ मजदूर हो जाते हैं उस मुख्य मंत्री के और प्रधान मंत्री के और हीरों वर्शिप प्रारंभ हो जाती है। बाबा साहेब डा०-अम्बेडकर ने संविधान निर्माण करके 25 नवम्बर 1949 को इसी केन्द्रीय कक्ष में जब संविधान प्रस्तुत किया तो उन्होंने बहुत सी बातें कहीं थी लेकिन एक बात कि लोकतंत्र को खतरा जिन चीजों से है, उन्होंने एक बात कही थी, उसे मैं क्वोट कर रहा हूं :

"The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not 'to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions'. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered life-long services to the country. But there are limits to gratefulness. As has been well said by the Irish Patriot Daniel O'Connel, no man can be grateful at the cost of his honour, no woman can be grateful at the cost of her chastity and no nation can be grateful at the cost of its liberty. This caution is for more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But, in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictorship.'

यह डेमोक्रेटिसी के लिए यह हीरो वर्शिप घातक बन जाती है। मान्यवर, हमारे देश में यही हो रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक चला गया है। रेलवे में रिजर्वेशन कराने जाइए तो बगैर रिश्वत के रिजर्वेशन नहीं होता। आज यह प्राइवटाइजेशन क्यों हो रहा है? एक तरफ तो नयी आर्थिक नीति का बहाना लगाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, यह जो सेंट्रल अंडरटेकिंग्स है, ये फेल हो रही हैं। लेकिन रिश्वत लेकर इनका प्राइवेट इजेशन कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस, दिल्ली की डी.टी.सी., रिश्वत लेकर यह काम प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है और वहां पर छटनी की जा रही है, ऐसा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। मुझ से डी.टी.सी. के अनेकों लोग आकर मिले थे, उनका कहना था रेड लाइन बसें, जो रोजाना लोगों को मार रही हैं, कुचल रही है उनको बराबर परमिट दिए जा रहे हैं, रिश्वत लेकर परमिट दिए जा रहे हैं और डी.टी.सी को जानबूझकर डेड किया जा रहा है। इससे देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक आ गया है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है। यहां तक कि मरने के बाद जब मुर्दे को फूंका जाता है तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि सारे मुर्दे न फूंक जाएं अन्यथा रिश्वत देकर पहले नंबर लेना पड़ेगा। यह हंसी की बात नहीं है। वाराणसी का जो मनकर्णधा घाट है आप वहां चले जाइए बगैर रिश्वत के मुर्दे को भी समय पर नहीं फूंक सकते। अगर रिश्वत नहीं दोगे तो लाइन में लगना पड़ेगा। रिश्वत और भ्रष्टाचार इस सीमा तक आ गया है तो इस देश का क्या हाल होगा? देश डूब जाएगा। इसलिए आज मंत्रियों के खिलाफ, जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ, प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने संबंधी विधेयक लाने की आवश्यकता है। हमारे यहां बृज में एक कहावत है कि "टायर मारे, टट्टू कांपे"। जो तांगा चलाने वाला है जब वह टट्टू से काम लेन चाहता है, घोड़े से, तब वह टायर में पैना मारता है तो फिर वह टट्टू तेज चलता हैं। तो उसको कहते हैं टायर मारे, टट्टू कांपे। अगर प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री कानून के खिलाफ काम करते हैं और कानून के तहत उनको

हथकड़ी पहना कर गिरफ्तार किया जाए तो नीचे का भ्रष्टाचार आटोमेटिकली खत्म होने लगेगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ईमानदार कलक्टर पहुंच जाए तो नीचे के कर्मचारी भी ईमानदार होने लगते हैं। यहां, हमारे देश में जो ईमानदार रहे हैं, उनका सम्मान भी हुआ है। आज से थोड़ दिनों पहले इसी सदन के सदस्य थे, उन्होंने जो ईमानदारी का नमूना देश के सामने पेश किया तो सारे सदन ने उसकी सराहना की। केवल एक व्यक्ति समिति की आस्था पर, उनके विरुद्ध एक टिप्पणी आयी तो उन मंत्री ने अपने पद पर बने रहना पसंद नहीं किया और अपने पद को त्यागकर वे चले गए। लेकिन इस देश की जनता ने उनकी ईमानदारी का उनको पारितोषिक दिया। यहां से जाने के बाद उनको मुख्य मंत्री बना दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते है कि इस देश की जनता ईमानदारी का पारितोषिक देती है। हमने देखा, मैं जब कचहरी में वकालत किया करता था तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मजीस्ट्रेट को देखा, वह मजीस्ट्रेट अपना अहलमंद, अपना पेशकार रखते थे, जो रिश्वत न ले। हमने कहा और तो सब अहलमंद, पेशकार रिश्वत लेते हैं, आपके सामने लेते हैं लेकिन आपने अपना आदमी ईमानदार क्यों रखा है। आदमी जब अपना कर्मचारी, अपना सहयोगी तलाश करता है तो ईमानदार ही तलाश करता है तो फिर यह पैमाना सारे देश पर क्यों नहीं लागू होता? मान्यवर, आज समाज का कोई भी घटक बगैर भ्रष्टाचार के बचा नहीं है। हमने बहुत से सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों के बयान पढ़े हैं चाहे चीफ जस्टिस भगवती हों या दूसरे हों। जब उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया तो उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम सस्ता और सरल न्याय दिलाना चाहते हैं लेकिन इस देश में गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है। इस देश में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। इस देश में कार्यपालिका में भी भ्रष्टाचार है। इस देश के मीडिया में भ्रष्टाचार है। अगर आप ह्विस्की, ब्रांडी और उसके साथ कलम और दें, रोजाना डिनर दें तो खबरें उल्टी की सीधी और सीधी की उल्टी छपेंगी और अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो बहुत खबरें छपती ही नहीं हैं। आज मीडिया भी नहीं बचा है इससे। इसके अलावा आप देखिये यह जो सब से बड़ी देश के अन्दर संस्था है, वह है संसद्। इसके सदस्य यहां के जो राजनीतिज्ञ हैं इनकी स्थिति भी देश के अन्दर बड़ी दयनीय है "जब राजा चोरी करे तो न्याय कौन पै जाए"। मान्यवर, पहले बेईमानी के आरोप लगते थे कर्मचारियों पर फिर लगने लगे अधिकारियों पर, फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे विधायकों पर, फिर आरोप लगने लगे सांसदों पर, फिर आरोप लगने लगे मंत्रियों पर, फिर आरोप लगने लगे मुख्य मंत्रियों पर और मान्यवर इस सरकार में तो भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री पर लगे है। कोई भी बचा नहीं है इस देश में। (व्यवधान), मैं यह कह रहा हूं कि आरोप लगे हैं कोई बचा नहीं है आरोप से। जब कोई नही बचा तो इसका प्रभाव आम जनता पर क्या हो रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा, है तो छोटी बात, लेकिन कांग्रेस के लोग कभी हमारी बात को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। आज 125वी वर्षगांठ है गांधी जी के चरखे की। उन्होंने खादी की बात कही थी और कांग्रेस के लोग खादी पहनते थे लेकिन खादी पहनना इसलिए छोड़ दिया कि लोग कहने लगे "पहले डाकू खादर मे, अब के डाकू खद्दर में"। ऐसा लोग कहने लगे हैं। इसलिए लोगों ने खद्दर पहनना छोड़ दिया, आज कांग्रेस के लोगों न खद्दर पहनना छोड़ दिया। ठीक यही हालत राजनीतिज्ञों की होने वाली है, राजनीतिज्ञों को चौराहे पर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी राजनीतिज्ञ का मान-सम्मान नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी दलों के नेताओं को, मैं सभी दलों से कह रहा हूं, चाहे किसी भी दल के रहे हों, शासक चाहे कोई भी रहा हो लेकिन इच्छाशक्ति इस विधेयक को लाने की रही नहीं क्योंकि "काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है, पै लागे है।" कोई भी दल आज बचा नहीं

है। सब दलों का शासन किसी न किसी जगह है । आरोप लगे हैं इसलिए अगर आप लोग इसके बारे में निष्ठ हो जाएं सिसेर हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकारें तो आती-जाती रहती हैं । आज आपकी सरकार है कल को हमारी आएगी और आप इधर आ जाएं हो सकता है नहीं आएं यहां भी नहीं आएं और बीच में ही रह जाएं । इस लिए इस विधेयक को सरकार की तरफ से लाइये और स्वीकार कीजिये । एक कम्प्रेहेंसिव विधेयक लाइये । यह एक ऐसा काम है जिसके तहत सभी लोग आएंगे एक अच्छी तस्वीर भारत की इस संसद् की बनेगी और राजनीतिज्ञों को सम्मान मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं श्री मोहम्मद मसूद खान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : राजस्थान मे तो नहीं बना रहे हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : सब जगह बनाएंगे ।

(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री नतीश अग्रवाल) : श्री जनेश्वर मिश्र । जनेश्वरजी तैयारी कर रहे हैं सरलाजी आप बोलिए ।

श्रीमती सरला महेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद श्री मसूद खान ने अपने प्रस्ताव के जरिये हमारी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था के सामने उठ खड़े हुये सुलगते हुये सवालों को आज इस देश के सामने उपस्थित किया है । ये सुलगते हुये सवाल वे सवाल हैं जिन सवालों का अगर हल नहीं किया तो इस व्यवस्था को मौत से कोई बचा नहीं सकता । किसी भी सामाजिक राजनैतिक, व्यवस्था की जीवंतता का यह प्रमाण होता है कि वह व्यवस्था अपने सामने उठे हुये, अपने समय के उठे हुये प्रश्नों और चुनौतियों का माकूल ढंग से जवाब दे सकती है या नहीं । अगर कोई भी व्यवस्था अपने समय की चुनौतियों को झलने से इंकार करती हैं, अगर कोई भी व्यवस्था अपने समय के उठे हुये प्रश्नों को हल करने से इंकार करती है या उनका उत्तर देने से इंकार करती है तो वह सामाजिक व्यवस्था निसंदेह अपरिहार्य मौत का शिकार बनती है । अगर कोई भी सामाजिक व्यवस्था उठती हुई चुनौतियों के अनुकूल अपने अन्दर ठीक ढंग से समायोजन नहीं कर पाती है या उन चुनौतियों के अनुरूप अपने ढांचे को ठीक नहीं कर पाती है तो स्वाभाविक रूप से ही यह सवाल उठता है, यह कहा जाने लगता है कि इस व्यवस्था ने अपने बने रहने के ऐतिहासिक तर्क को खो दिया है । इसीलिये जब कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था अपने बने रहने के ऐतिहासिक तर्क को खो देती है तो वह अपनी मृत्यु को प्राप्त होती है । मैं निसंदेह यह कहना चाहती हूं कि पिछले कुछ दशकों से हमारी सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था ने उसके सामने उठी हुई चुनौतियों को, उसके सामने उठे हुये प्रश्नों का जवाब देने से इंकार कर दिया है । यही कारण है कि हमारी व्यवस्था को, तथा उसका संचालक सत्ताधारी पार्टी को हमारी जनता ने माकूल जवाब दिया है । जब कोई भी पार्टी खुद जवाब नहीं दे पाती है तो जनता उठ खड़ी होती है जवाब देने के लिये और ऐसी पार्टी का जनता ही पत्ता साफ कर देती है । यह इतिहास में भी हुआ है, और यह भविष्य में भी होगा । यही गति का नियम है, यही प्रगति का नियम है । मैं जिस बात की ओर इस सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं वह यह है कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान के जनतंत्र के सामने जो सवाल उठे, वे कौन से प्रमुख सवाल थे जिनसे हमारी व्यवस्था टकरा रही थी, हमारी जनता टकरा रही थी, वे कौन से सवाल थे ? वे सवाल थे जनतंत्र को बचाने के, जनतंत्र को मजबूत करने के, हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे के

अनुरूप जनतंत्र को विकसित करने के और जनतंत्र को प्रसारित करने के। इसके साथ ही दूसरा सवाल था भ्रष्टाचार से लड़ने का। तीसरा सवाल था जो उन दिनों उठा कि सांप्रदायिक ताकतों से हम अपने हिन्दुस्तान को किस तरह से बचायेंगे, हम अपने जनतंत्र को किस तरह से बचायेंगे ? मैं बहुत ही दुख के साथ यह कहना चाहूंगी कि भारत सरकार ने, आजाद हिन्दुस्तान के जनतंत्र के सामने उठे हुये तमाम सवालों का सही जवाब देने से इंकार कर दिया है। उप सभाध्यक्ष महोदय, पहले मैं आती हूं जनतंत्र के विस्तार का सवाल, जनतंत्र को मजबूत करने का सवाल और महोदय आपको याद होगा कि 1975 में जब आंतरिक आपातकाल लागू किया गया समस्त सत्ता का केन्द्रीयकरण कांग्रेस ने अपने हाथों में कर लिया उस समय यह बात उठी थी कि अगर केन्द्रीयकरण की यह प्रक्रिया जारी रही, अगर इस तरह कांग्रेस सत्ता का केन्द्रीयकरण करती रही तो हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जायगी और तभी सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का सवाल उठा था। केन्द्र और राज्यों के संबंधों के पुनर्विन्यास का सवाल था। सरकारिया कमीशन की बात आई थी और महोदय, कांग्रेस वह पार्टी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई थी, जिसने उन तमाम सवालों का सही जवाब देने से इंकार कर दिया, उस कांग्रेस को जनता ने सत्ता से खदेड़ बाहर किया और एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार सत्ता में आई। महोदय, इसके बाद भी जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ वह आपने देखा होगा कि किस तरह उस काल में फिर से जब जनतंत्र को प्रसारित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रसार भारती विधेयक लाया गया और लोकपाल विधेयक पर फिर से चर्चा होने लगी, लेकिन महोदय, उसी दरम्यान एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा अपने शीर्ष पर पहुंचा और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे के चलते कांग्रेस की वह सरकार जो 3/4 बहुमत लेकर राजीव गांधी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी उस तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त सरकार को जनता ने ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। उसका क्या कारण था ? बोफोर्स कांड की तरह का इतना बड़ा घपला जिसमें न सिर्फ हमारे देश बल्कि दुनिया के तमाम देशों में यह बात उजागर हुई कि हमारे देश में सत्ता के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुये लोग किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहां तक कि प्रधान मंत्री के पद पर भी उंगली उठी थी। महोदय, यह वह दौर था जिसमें यह आवश्यक था कि हम लोक पाल विधेयक पर फिर से एक बार बात करते। उपसभाध्यक्ष महोदय, उस दौर की मैं चर्चा करना चाहूंगी कि उस दौर में किस तरह कांग्रेस की शीर्षस्थ राजनीति के बहुत निकट पहुंचे हुये कांग्रेस के नेता जो उस समय कांग्रेस के घोषणा-पत्र लिखा करते थे, कांग्रेस की राजनीति का जो विकृत रूप उन्होंने देखा, कांग्रेस की राजनीति का जो भ्रष्ट रूप उन्होंने देखा उस रूप को देख कर श्रीकांत वर्मा जैसे हमारे कवि ने जिस आक्रोश के साथ जिस नफरत के साथ कविता लिखी थी उस कविता को क्षमा कीजिये, उपसभाध्यक्ष महोदय, "मुझे क्षमा करें" शीर्षक है और उस कविता को मैं इस सदन में उल्लिखित करना चाहूंगी ताकि उस इतिहास को हमारे कांग्रेस के लोग जानें और हमारे वे लोग भी जानें जो कहते हैं कि हम आने के इंतजार में बैठे हुये हैं और आने से पहले ही बदनाम हो चुके हैं, वे भी इस बात को जानें कि राजनीति क्या है' महोदय, श्रीकांत वर्मा ने कविता लिखी थी "मुझे क्षमा करें" उस कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं पूरी कविता उद्धृत नहीं कर रही हूं, कुछ प्रासंगिक पंक्तियां ही उद्धृत कर रही हूं :

> "मैं खुद को एक गिरा हुआ आदमी मानता हूं,
>
> मगर कुछ लोगों को देखकर मैं हैरत में पड़ जाता हूं,
>
> उनके गिरने की कोई सीमा ही नहीं है,
>
> वे हत्यारे ही नहीं, चोर, उच्चके, डकैत....."

इसके बाद में जो शब्द प्रयोग किये गये हैं, मैं यहां इस सदन में नहीं प्रयोग करना चाहूंगी, हमारे माननीय सदस्य अगर चाहें तो वह कविता को पढ़ लें। कविता के आगे पंक्तियां हैं कि उनके जीवन में सत्य का, पश्चाताप् का एक क्षण नहीं आया और वे सब के सब राजनीति में हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कविता उस श्रीकांत वर्मा ने लिखी है जो श्रीकांत वर्मा कांग्रेस की राजनीति के शीर्ष शिखर पर पहुंचे हुये थे। वह महामंत्री थे. .. **(व्यवधान)**

श्री हेच० हनुमन्तप्पा (कर्नाटक) : वह इसे लिखने के बाद महामंत्री बने।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उन्होंने राजनीति को गहराई से देखा और लिखा कि आप कहां तक डूबे हुये हैं... **(व्यवधान)**... हमारे बारे में मैं तो आपको बताऊंगी ही और आपके बारे में भी बताऊंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की चर्चा कर रही थी कि कांग्रेस की राजनीति की उस भ्रष्ट रूप को श्रीकांत वर्मा जी ने देखा, हिन्दुस्तान की जनता ने देखा था कि किस तरह आजादी के बाद, कुछ अपवादों को छोड़कर, एकछत्र शासन कर रही कांग्रेस पार्टी ने अपनी सारी विरासत को, अपनी सारी परम्पराओं को भुलाकर एक ऐसा रास्ता पकड़ा था जोकि सिर्फ दलदल के अंदर जाता था। उसके पास जैसे इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, वह बात यह है कि क्यों नहीं हमारे जनतंत्र को विकसित और समृद्ध किया गया? कांग्रेस की सरकार ने अपने तमाम कारनामों से – चाहे वह बोफोर्स कांड हो, चाहे वह सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का सवाल और चाहे वह सांप्रदायिकता से लड़ने का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी असमर्थता का, अपनी अकर्मण्यता का भयंकर परिचय दिया और कांग्रेस ने जनता को यह बता दिया कि वह अब हिन्दुस्तान में जनतंत्र का और अधिक विकास, और अधिक संवर्धन करने के लिये कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस की भूमिका समाप्त हो चुकी है और आज सारा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है कि कांग्रेस के दिन अब गिनती के दिन रह गये हैं। अब बोलिये, आप क्या कहना चाहते हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : आपकी पार्टी के बारे में नृपेन चक्रवर्ती बोल रहे हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : नृपेन चक्रवर्ती क्या बोल रहे थे, उसका जवाब तो समय देगा, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता क्या बोल रही है? बंगाल की जनता क्या बोल रही है? यह पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा की क्रेडिबिलिटी है, साथ है कि लगातार चार-चार चुनाव उसने जीते हैं, भले ही वह पंचायतों के चुनाव हों, नगरपालिकाओं या विधान सभाओं के चुनाव हों। जब सारी सरकारें गिर रही हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार के एक मंत्री पर किसी ने लांछन नहीं लगाया है। ... **(व्यवधान)**... इसलिये आप नहीं बोलिये... **(व्यवधान)**.. आपकी इच्छा नहीं हुई न बोलने की। ... **(व्यवधान)**... आप क्यों बोलते हैं, आप मत बोलिये। जिस बात के लिये आपका मन गवाही नहीं देता, दिमाग गवाही नहीं देता, कृपया उस बात को मत बोलिये और उस पर मुझ से प्रतिक्रिया मत मांगिये। ... **(व्यवधान)**... यह तो आपकी अभी जो अंतरात्मा शायद जिंदा है, वही बोल रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती थी कि कांग्रेस से जिस भूमिका की आशा की जाती थी कि उसके सामने जो उत्तरदायित्व थे, हिन्दुस्तान की जनता द्वारा, समाज के द्वारा कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां पेश की गई थीं, जो तकाजे पेश किये गये थे, उन

चुनौतियों और तकाजों को कांग्रेस ने हल करने से इंकार कर दिया और वह उन चुनौतियों व तकाजों का सही जवाब देने के बजाय खुद एक ऐसे दलदल में फंस गई कि आज स्थिति यह आ गई है कि आज पूरे हिन्दुस्तान में हमारे देश की राजनीति को कांग्रेस ने एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि जब हिन्दुस्तान का आम आदमी राजनीतिज्ञों को शंका की निगाह से देखता है, आज मंत्रियों को शंका की निगाह से देखता है, वह मंत्रियों पर खुले आम टिप्पणी करता है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक शेयर दलाल की क्या क्रेडिबिलिटी है, एक शेयर दलाल की इतनी हिम्मत होती है कि वह बेईमान शेयर दलाल हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पर उंगली उठाये, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पर वह अभियोग लगाये और उस शेयर दलाल का बाल बांका भी नहीं होता ? यह कौन सी व्यवस्था हमने निर्मित की है ? इस व्यवस्था पर खड़े होकर हम हिन्दुस्तान की जनता को क्या नेतृत्व देंगे? ऐसी व्यवस्था और चल नहीं सकती और अब ढह जाना ही इसकी नियति है। मैं पूछती हूं कि आपने पिछले सालों में क्या किया है? आपकी पिछले सालों की सरकार घोटालों की सरकार रही है। आपने कौनसी ख्याति अर्जित की ? यही कि यह घोटालों की सरकार है ? आपकी सरकार एक के बाद एक घोटाले करती जाती है। और घोटालों पर पर्दा डालने के लिये, घोटालों को छिपाने के लिये आप जनता के पैसे से लाखों, करोड़ों खर्च करके जांच करवाने का जो नाटक करते हैं और जब उस नाटक का पटाक्षेप होता है तो पता चलता है आप कोई कार्यवाही नहीं करते । आपने संयुक्त संसदीय समिति बनाई और उस संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को आपने कूड़े में फेंके दिया। संयुक्त संसदीय समिति कहती है कि इतने मंत्री अपराधी हैं, सी.बी.आई. की रिपोर्ट आती है कि आपका वह तंत्र अपराधी है उसको दंडित किया जाना चाहिये, मगर प्रधान मंत्री सदन में कहते हैं कि नो मेला-फाइडी इंटेंशन। अजीब बात है, आखिर कितना व्यर्थ हम इस व्यवस्था को बनाएंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहती हूं कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही, अगर इस प्रक्रिया को अवरूद्ध नहीं किया गया, अगर आप इसी तरह ईमानदारी का गला घोंटते रहे, अगर इसी तरह आप भ्रष्टाचार की गंगा बहने देंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाला समय एक ऐसा समय होगा जब सबको कटघरे में खड़ा होना होगा और इस व्यवस्था से हमारे देश की जनता सवाल करेगी। आज भी हमारे बहुत से सांसदों ने सवाल उठाया, वह डाक्टरों के बारे में सवाल उठा रहे थे, वकीलों के बारे में सवाल उठा रहे हैं, मंत्री के बारे में सवाल उठा रहे थे। मुझे याद आती है, कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि पूंजी एक ऐसी सत्ता है, पूंजी एक ऐसी शख्सियत है, जिसने हमारे समाज के तामाम ईमानदार माने जाने वाले पेशों से पवित्रता का पर्दा उठा लिया। हमारे तमाम पवित्र संबंधों पर जो पवित्रता का पर्दा था उसको हटा दिया। आप आज एक ऐसी सड़े गले समाज की संरचना कर रहे हैं, जिस सड़े गले समाज में हमारे तमाम नैतिक मूल्य अपनी प्रासंगिता खोते जा रहे हैं, हमारे तमाम मानवीय मूल्य ध्वस्त होते जा रहे हैं। आज आपने कौनसी प्रासंगिता बनाये रखी है ? इसलिये मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो मसूद खान साहब प्रस्ताव लेकर आये हैं, इस प्रस्ताव का इतिहास तो पहले से चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूंगी कि हम कब से इस पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सन् 1966 से, जब प्रशासनिक सुधार कमेटी बनी थी और उस प्रशासनिक सुधार कमेटी की सिफारिशों को अमलो जामा पहनाने के लिये एक विधेयक लाया गया था 1968 में। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक विधेयक लाये गये। दो-दो

बार, तीन-तीन बार लोकसभा भंग होती गई और कुछ नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री हेच० हनुमनतप्पा : आपने भी तो नहीं किया, जब आप सत्ता में थे। (व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आपकी सरकार तो उस वक्त थी। सन 1985 में किसकी सरकार थी ? तब आपने क्यों नही किया।

श्री अजीत जोगी : जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया ? यह तो बताइये।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): We had introduced a Bill and because of the Bill you wanted our Government to collapse.

श्री हेच० हनुमनतप्पा : कर देना था, जब आप सरकार में थे। (व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उस समय का मैं बता रही हूं। आप बताइये 1977 में प्रस्ताव आया या नहीं ? विधेयक आया और जब वह विधेयक पारित होता उसके पहले सांप्रदायिक ताकतों के साथ आपने हाथ मिलाया (व्यवधान) आपने और भ्रष्टाचार किया। (व्यवधान)

श्री हेच० हनुमनतप्पा : उधर वेस्ट बंगाल में कहो। (व्यवधान)

SHRIMATI MARGARET ALVA: For 15 years your Government has been in power in West Bengal. Still it does not have a Lok Ayukta. Why have you not set up one? 15 साल में क्या किया है वेस्ट बंगाल में ?

श्री सरला माहेश्वरी : पश्चिमी बंगाल की सरकार एक ऐसी सरकार है, जो कि जनता की विश्वसनीय सरकार है।

श्री अजीत जोगी : कांच के मकान में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। (व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों पर उंगली नहीं उठी। (व्यवधान)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Mr. Vice-Chairman, Sir, how can the Minister ask this when they have not enacted a Lok Pal Bill here? Why do you say other Governments are not enacting the Lok Ayukta Bill? You set up a Lok Pal. Than you have a moral right to talk about other Governments.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You are talking of morals. Why don't you bring in a model?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: When we introduced the Bill, you got the V. P. Singh Government collapse.

श्री अजीत जोगी : आप खुद मंत्री थे और तब भी आप नहीं ला पाये (व्यवधान)

श्री चिमनभाई मेहता : हमने बिल रखा था, उसे हाउस में रख दिया था और आप लोगों ने जब देखा कि बिल पास हो जायेगा तो इसलिये हमारी सरकार को गिरा दिया। यह इतिहास की बात है। आप अगर बिल लाना चाहते हैं तो ले आइये। हमारी सरकार लोकपाल बिल नहीं लाई, यह कहना उचित नहीं है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : 1985 में आप बिल लेकर आए, एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई, तीन वर्षों तक संसदीय समिति घूमती रही, सिफारिशें दी उसने और जब सिफारिशों के बलबूते पर बिल लेकर आए तो उस पर 200 अमेन्डमेन्टस आए और

जब कहा कि अमेंडमेंटस स्वीकार कर लीजिए तो आपके तत्कालीन गृह मंत्री श्री चिदम्बरम साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको वापिस ले रहे हैं और तब यह नोट आफ डिसेंट हमारे लोगों ने दिया था, वह नोट आफ डिसेंट रिकार्ड में है, आप कहें तो मैं पढ़ देती हूं कि क्यों नोट आफ डिसेंट दिया था। नोट आफ डिसेंट दिया था क्योंकि आप प्रधान मंत्री को उसके परव्यू में लाना नहीं चाहते थे, प्रधान मंत्री को छोड़ देना चाहते थे। आप कहते थे कि हमारे यहां 1947 से भ्रष्टाचार विरोधी कानून बना हुआ है, इसकी जरूरत ही क्या है। इन तमाम मुद्दों पर तो आपने इसको खत्म कर दिया था और कहा था कि हम फिर से नया बिल लेकर आएंगे, इसलिए यह नोट आफ डिसेंट दिया था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि सवाल आपकी क्रेडिबिलटी का है, सवाल विश्वसनीयता का है। अगर एक व्यवस्था के ऊपर जनता सवाल उठाती है, अगर एक व्यवस्था के ऊपर कई शंकाओं के बादल घिर जाते हैं और इसके उपरांत आप उन बादलों को छंटने नहीं देते तो जाहिर है कि आप उन चुनौतियों से टकराने के लिए तैयार नहीं हैं और जब आप चुनौतियों से नहीं टकराते हैं तो जनता चुनौतियों से टकराती है और आपके ताज और तख्त उलट दिए जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि श्री मसूद साहब जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, वह प्रस्ताव निःसंदेह हम सबके लिए एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए और मंत्री महोदया बैठी हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ उनसे जो बात सुनना चाहूंगी और पूरा सदन चाहेगा वह यह है कि विधेयक बार-बार आते रहे और हमारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वह अफसर हों, मंत्री हों, प्रधान मंत्री हो, अगर इसी तरह भ्रष्टाचार की उंगलियां उन पर उठती रहेंगी, पूरी सत्ता में अगर इसी तरह भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में पनपता रहेगा तो न तो कोई समाज प्रगति कर पाएगा और न ही किसी समाज में आप मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे और हमारे हाथ में एक फावड़ा होगा और उस फावड़े से हम खोदते जाएंगे और हमें मणिकर्णिका के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शायद लोकपाल विधेयक का यह इतिहास रहा है कि जब जब भी इस लोकपाल विधेयक की चर्चा हुई है, हमारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने उससे अपना मुंह चुराया है। वे नहीं चाहते कि इस तरह की कोई एक संस्था बने, इस तरह का स्वतंत्र कोई निकाय बने जो इन तमाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए—चाहे वह मंत्री हो, अफसर हों—लोगों को अपने घेरे में ले ले और वे जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, चाहे आर्थिक या राजनीतिक दुरूपयोग हो, हर प्रकार के दुरुपयोग की जांच हो सके और हम एक स्वस्थ प्रशासन जनता को दे सकें, एक ऐसे समाज की रचना कर सकें।

आज आप विकास की इतनी बड़ी-बड़ी परिकल्पनाओं की बात करते हैं, आपके ही भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि आज यदि हम एक रुपया खर्च करते है तो 16 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी पैसा पहुंचता नहीं है। तो बाकी पैसा क्यों नहीं पहुंचता? इसलिए कि भ्रष्टाचार पर आप काबू नहीं कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अब अति हो चुकी है, अब ऐसा समय आ चुका है जब हमारी सहने की सीमा की अति हो चुकी है, सहने की सीमा अब पार हो चुकी है और इसलिए इस विधेयक का हश्र अब वह नहीं होना चाहिए। कम से कम सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे आए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम इस सदन में खड़े होकर यह बोल रहे हैं कि हमें जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को बनाए रखना होगा ताकि जनता के सामने हम अपना सर ऊंचा करके जा सकें, जनता को हम बता सकें कि हम उनके विश्वसनीय प्रतिनिधि हैं और इसलिए मैं चाहती

हूं कि इस प्रस्ताव का मणिकर्णिका क्षेत्र हश्र नहीं होना चाहिए। . . . (व्यवधान) . .

श्री अजीत जोगी : इतने घोटालों का आपने जिक्र किया है। नृपेन चक्रवर्ती ने बड़े घोटालों का जिक्र किया है, उस पर तो आपने बात ही नहीं की। . (व्यवधान) उसके बारे में भी तो कुछ कह लीजिए। . . . (व्यवधान) . . .

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Mr. Nripen Chakrawarty did not mention any fact. I read that report. I am very much concerned. In his statement, I did not fiind a single fact. I am not a member of the Communist Party. That you must realises. (*Interruption*). Don't go by partisan spirit. (*Interruptions*). Nripen Chakravarty said something. (*Interruptions*). This is one of the most important things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGGARWAL): Shri Janeshwar Misra.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैंने अभी खत्म नहीं किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You had yielded to other Members. You were interacting with each other. (*Interruptions*).

DR. BIPLAB DASGUPTA West Bengal): There was a deliberate attempt on the part of Congress Members to derail the whole discussion. If they want to raise other issues, let them raise them properly. We will also listen. Why are they trying to provoke? (*Interruptions*).

SMT. MARGARET ALVA: Why only for Congress Members? As if the rest of them here are all saints and your Governments are all saints? (*Interruptions*).

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Is she intervening, Sir?

SMT. MARGARET ALVA: I am replying. That is why I am asking her. We are talking of consensus. You say only Congressmen are corrupt

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: No. I never said that. (*Interruptions*).

DR. BIPLAB DASGUPTA: It is certainly not a party issue. (Interruptions). Two things stand out. No. 1, the Lokpal Bill was discussed in 1990-91. For the last four or five years, nothing has been done. No. 2, a Private Member's Bill had to be brought in The Government never took the initiative of bringing it in. During the Emergency period, an attempt was made to put the Prime Minister above law. It goes to the credit of the Janata Dal that they said that even the Prime Minister was acountable. Th eCongress Party Wanted the Prime Minister not to be accountable to the Lokpal or even to the Court. (*Interruptions*).

SMT. MARGARET ALVA: It is not possible. . (*Interruptions*) This is what we are saying. Let us have a consensus. (*Interruptions*).

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: /Did you call a meeting of Opposition leaders? (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Biplab Dasgupta, please take your seat. Mr. Chimanbhai Mehta, please sit down. This issue cannot be resolved in this fashion. Why do you join issue with Smt. Margaret Alva? She has a right to protest.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am noticing that deliberate attempts have been made in many ways to derail the discussions when our lady Member is

speaking. If they want to hold a discussion on Jyoti Basu, let them... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): I would request all of you to kindly resume your seats. Mr. Narayanasamy, please resume your seat. Saralaji, take your seat. Sometimes interventions make the debate lively. That is why I was slightly indifferent towards certain interruptions now and then. But acrimonious exchanges of abuses, charges and counter-charges do not lead us anywhere. It is above party considerations. Saralaji, please conclude your speech so that the other Member gets a chance.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय । मुझे अफसोस है कि मैं जिस परिधि में बात करना चाहती थी या जिन प्रसंगों पर बात करना चाहती थी, हमारे कुछ सदस्यों को नागवार लगी । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही व्यवस्था की बात की थी कि हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था, और अगर व्यवस्था से वह कुछ और समझने हों तो मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ सफाई नहीं देना चाहती । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि आज हमारे देश की पूरी सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था और जिस व्यवस्था के संचालक अगर कांग्रेस रही है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (क्रमागत) और मैंने हमारे संसदीय जनतंत्र के इतिहास के जो विभिन्न कदमों के बारे में उल्लेख किया है तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है तो मैं कैसे उसको नागवार कर सकती हूं ? आखिर इतिहास को तो मैं गलत साबित नहीं कर सकती और इतिहास इतिहास है और मैंने सिर्फ इतिहास के पन्नों का ही हवाला दिया है और उन इतिहास के पन्नों में अगर कुछ गलत नजर आया हो तो मैं दोषी न होने पर भी उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि ये जो सुलगते हुए सवाल हैं, उन सुलगते हुए सवालों को विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए और विस्मृति के किसी फावड़े से हम अपने देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका हश्र भी वह नहीं होगा । एक बार फिर मैं श्रीकान्त वर्मा जी के शब्दों में कहना चाहूंगी क्योंकि शायद उन्हीं के शब्दों को हमारे सदस्य अच्छी तरह से समझ सकें । श्रीकान्त वर्मा जी ने कहा था, मैं उन्हीं की एक और कविता को उद्धृत करके अपनी बात को समाप्त करूंगी । उन्होंने कहा था :—

"क्यों भूलने की कोशिश कर रहे हो
कोई भी विस्मृति यथार्थ पर पर्दा
नहीं डाल सकती ।
क्यों फावड़ा लेकर खोद रहे हो
मणिकर्णिका ?
क्यों चिल्ला रहे हो ?
मैं रहने नहीं दूंगा मणिकर्णिका
व्यर्थ है सिद्धों, व्यर्थ है
मणिकर्णिका के नीचे मणिकर्णिका मिलेगी ।
और उसके नीचे भी मणिकर्णिका हम
खोद ही तो रहे हैं,
तब से हमने सीखा है फावड़ा चलाना
जब से यह जाना कि शव है,
हर बार पाया है मणिकर्णिका ।"

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं ।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आजादी मिलने के पहले क्योंकि गांधी जी की रहनुमाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, इस देश में त्याग की भावना प्रबल थी । उसकी अपनी एक गरमी थी । जैसे ही आजादी मिली, कुछ दिनों तक तो वह गरमी जरूर चली लेकिन धीरे-धीरे पचास

के दशक में वह त्यागवृत्ति भोगवृत्ति के रूप में बदलने लगी। कई बार ये आरोप आए हैं पंडित नेहरू साहब जब प्रधान मंत्री थे तब। मुदड़ा कांड हुआ था। टी०टी० कृष्णमचारी साहब वित्त मंत्री थे। एक आयोग बैठा था जज छागला था। उस आयोग ने अपनी टिप्पणी दी और पंडित नेहरू ने टी०टी० कृष्णमचारी को अपनी सरकार से धीरे से हटा दिया। क्योंकि उस समय त्यागवृत्ति की थोड़ी बहुत गरमी थी इसलिए किसी पर भष्टाचार की अंगुली उठाते ही जो कोई भी सत्ता में और खास तौर से नंबर एक की कुर्सी पर होता था, वह घबरा जाता था। पंडित नेहरू के अंतिम दिनों में जो बुढ़ापे के दिन कहे जाएंगे, अंगुलियां कई लोगों पर उठने लगीं खास तौर से पंजाब के मुख्य मंत्री कैरों पर उठने लगी थीं लेकिन पंडित जी उसमें कुछ नहीं कर पाए। ये जो त्याग करने वाली धारा थी, उसके कुछ गुण थे। सबसे बड़ा गुण था सादगी, का, दूसरा गुण था सच्चाई और आदमी आम तौर से सच बोला करते थे और तीसरा गुण था किफायतसवारी का, कम खर्चे में अपना काम चलाना चाहते थे। देश का नेता हो, देश का अफसर हो या देश के दूसरे लोग जो बड़े लोग कहे जाते हैं, अगर कम खर्चे में अपना काम चलाते हैं तो भष्टाचार अपने आप मिट जाता है।

यह गांधी जी ने हम लोगों को किफायत-सवारी, सादगी, सच्चाई, आचरण, सदाचार, स्वालम्बन, इन सबों पर जो ज़ोर देने को कहा था, उससे चरित्र विकसित हुआ था आज़ादी की लडाई के दौरान। जैसे ही यह युग बदला, त्यागवृत्ति भोगवृत्ति में जाने लगी तो गांधी जी की सादगी भोग में बदल गई, गांधी जी का स्वावलम्बन, सदाचार भ्रष्टाचार में बदल गया। माने सारे के सारे मूल्य एकबारगी गदलाने लगे। तब से जरूरत महसूस की जा रही है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, जब यह भ्रष्टाचार शुरू के दिनों में ऊपर दिखायी देने लगा तो यह कहा जाने लगा कि इस देश के सार्वजिनक जीवन की गंगोत्री गंदी हो गई है। छोटी-छोटी नदी, नालों को सांफ करने कोई काम नहीं चलेगा। अभी मैं सरला जी और आल्वा जी का विवाद सुन रहा था। सरला जी दिल्ली की तरफ इशारा कर रही थीं और आल्वा जी छोटी-छोटी सरकारों की तरफ इशारा कर रही थीं। अगर गंगोत्री से ही गंदा पानी बहना शुरू हो जाएगा तो पटना में कितनी गंदगी आएगी, इलाहाबाद में कितनी गंदगी आएगी, आगे बंगाल में कितनी गन्दगी आएगी, इस पर लंबी बहस नहीं चल सकती है। सच तो यह है कि हमारे मुल्क की गंगोत्री गंदी हो चुकी है और इसको साफ करने के लिए कोई न कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इस गंगोत्री के गंदा होने में कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, कहां-कहां हैं, इसके लिए केवल राजनीति करने वाले ही दोषी हैं या केवल कुर्सी पर बैठने वाले लोग ही दोषी हैं या हमारे समाज की जो मान्यतायें हुआ करती हैं, वे भी दोषी हैं, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। इस देश में जो सामाजिक बनावट है, चतुर्वेदी जी मैं इस बात की तरफ इशारा करन चाहती हूं कि इस देश में एक जाति ऐसी है जो अपने हाथ से हल नहीं चला सकती। अगर हल चलायेंगे तो उनका जनेऊ गंदा हो जाएगा। कोई भी उत्पादक कर्म उनको नहीं करना है और सबसे बढ़िया खाना खाना है, यह उस जाति की खूबी है। इससे एक अकर्ता संस्कृति, बिना कुछ किए हुए, बिना किसी प्रयास के बढ़िया जिंदगी जीने वालों की संस्कृति पैदा हुई है, इसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जरूर जाना चाहिए। यह अकर्ता संस्कृति केवल जाति पर आधारित नहीं, मेरे अन्ना डी.एम.के. के दोस्त मुझे माफ करेंगे कि थोड़े से लोगों की जुबान जानने वालों के हाथ जब देश का संचालन करने लगे तो जिन लोगों की जुबान पर वह भाषा है, वह लोग कोई काम नहीं करेंगे। काम, केवल वह लोग करेंगे जो इस जुबान को नहीं जानते, उन्हीं से काम कराकर बेहतर किस्म की जिंदगी जीयेंगे। तीसरा तत्व है पूंजी। जिस किसी के पास एक लाख, दो लाख रुपए हैं वह उत्पादक कर्म नहीं करना चाहता। तो जाति, भाषा और पूंजी ये तीन तत्व हैं जो बिना काम किए हुए अकर्ता बनकर कर्ता की पीठ पर

मौज उड़ाया करते उनमें आफिसर भी आते हैं जो कि कोई भी उत्पादक कर्म नहीं करते हैं। दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी उत्पादक कर्म नहीं करते। ये केवल रजिस्टर, फाइल, कलम-घिस्सू, लिखने पढ़ने का ही काम उनके पास रह जाता है। यह जो प्रशासन तंत्र है वह कोई उत्पादक कर्म नहीं करता। इसके साथ ही जो अपराधी हैं, जो जरायम पेशा लोग हैं, अपराधवृत्ति के लोग और जो राजनैतिक अपराध करते हैं तो यह चरित्र, जो बिना कुछ किए हुए शानदार जिंदगी जीते हैं तो यह अकर्ता संस्कृति के प्रतीक हैं। यह तब से प्रारंभ हुआ जब से गांधी जी की त्यागवृत्ति से भोगवृत्ति की दिशा में देश आगे बढ़ा और धीरे धीरे नेहरू युग में वह पनपा। इसका नतीजा यह है कि आज उसका परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें हमारी पूरी कौम डूब जाएगी। दुनियां के तमाम देशों में अगर कोई भ्रष्ट देश होगा तो उसका मुकाबला हमारे देश से किया जाएगा कि वह हमारे से आगे है या पीछे है। ऐसे प्रश्नों पर विवाद होने लगेगा। इतने खराब हम हो गये हैं। किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाना मैं अच्छा नहीं मानता हूं। मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत खराब है, कांग्रेस पार्टी के लोग कहें कि तुम लोग बहुत खराब हो, इसके कोई मायने नहीं है। लेकिन कभी हम बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं कि नहीं? मैंने अभी बताया था कि मुंदड़ा कांड का इंदरा जी के जमाने में एक केस आया था लाइसेंस घोटाला आया था और ललित नारायण मिश्र उसमें फंस गए थे दूसरा नागरवाला कांड आया और जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे वे उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन किसी ने ललित नारायण मिश्र को मार दिया। इसके बाद यह जो नयी वाली सरकार बनी है, इसमें पता नहीं कितने केसेज आ गए। शुरू से ही हल्ला मच रहा था कि इन इन मंत्रियों को हटा दो, जिनके नाम आए हैं। लेकिन उन नकोहीं हटाया गया। लाशें जब तालाब में सड़ गई तो उससे सारी मछलियां मर रही हैं। आखिर में जा कर जब बहुत दबाव पड़ा तो दो तीन छोटी-छोटी मछलियां जिनको सिंघरी कहते हैं मसूद साहब के इलाके में जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, उनको निकाल कर फेंक दिया गया, वह सड़ी हुई थीं। लेकिन तब तक ठीक शक होने लगा कि यहां तो सब से बड़ी वाली मछली भी सड़ रही है, बदबू कर रही है, उसकी तरफ भी उंगली उठ रही है। सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनके लिए अपने चरित्र को स्वच्छ रखना ही जरूरी हुआ करता है बल्कि दुनियां के सामने यह दिखाना भी आवश्यक होता है कि हम बेदाग चरित्र के हैं ताकि कौम को हम प्रभावित कर सकें अपनी हरकतों से। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग काजल की कोठरी में घुस कर भी अपने ऊपर कालिख बचा ले जाएं लेकिन वह दुनियां को दिखाने लायक नहीं रह गये हैं कि हमारे ऊपर कालिख लग नहीं पाई है। संतोष कर रहे हैं स्वांतःसुखाय। तुलसीदास जी ने जो कविता लिखी थी स्वांतः सुखाय, हम आज बढ़िया आदमी बनने की कोशिश भी कर लें तो उससे समाज प्रभावित नहीं होगा। समाज तभी प्रभावित हो सकता है जब दंड की कोई व्यवस्था की जाए, उसका प्रतिकार करने के लिए कोई नियम बनाए जाएं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन नियमों को बनाने की कोशिश बहुत दिनों से हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने इशारा किया कि पहले जब कभी यह बिल पेश हुआ तो सरकार की तरफ से यह जवाब आया कि आम सहमति नहीं हो पा रही है, तुम्हीं लोग अड़ंगा लगाते हो। इधर से प्रतिवाद के रूप में जवाब जाता है कि हम लोग तो अड़ंगा नहीं लगाते हैं, आम सहमति चाहते हैं लेकिन उसकी सीमा में प्रधान मंत्री को भी रख दो, सर्वोच्च पदों को भी रख दो। यह अजीब किस्म के तर्क के माया जाल में बात फंसी हुई है। मसूद साहब ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अभी हमारी बगल में बैठे थे। मैंने मसूद साहब से कहा कि कांग्रेस में चले गये हो या नहीं। अगर चले गये तब तो यह प्रस्ताव क्यों रख

मुझे हो तो कहने लगे हमें मालूम ही नहीं है कि हम कांग्रेस में हैं या नहीं है। तो एक अजीब किस्म की स्थिति है। हम संसद में बैठे हैं, विरोधी पार्टी में हैं। कल को हम इन लोगों की तरफ जा कर बैठ जाते हैं, क्या इसको भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा? क्योंकि हम पार्लियामेंट के मैम्बर हैं। चतुरानन मिश्र जी एक दिन भाषण देते हुए कह रहे थे कि हम कुकिंग गैस कनेक्शन बेचते हैं, टेलीफोन कनेक्शन बेचते हैं। हम पर आरोप नहीं बन रहा है, यह मत समझियेगा मारग्रेट जी कि केवल नरसिंह राव जी पर हम लगा रहे हैं, हम पर भी आरोप लग रहा है, हमारे चेहरे भी लांछित हो रहे हैं, हमारे दिल में भी धुकधुकी हैं, हम को भी लोग चोर कह रहे हैं। ऐसी हालत में हम चलें तो कैसे चलें? याद रखियेगा जब दिल से धुकधुकी होती है, घबराहट रहती है, चित में दम नहीं रहा करता है, उस आदमी का सिर ऊंचा नहीं होता है। हमने इशारा किया था उस दिन चव्हाण साहब बैठे थे, हम लोग इतने डरे हुए हैं, कि हमको लग रहा है कि हमें कोई मारने आ रहा है जब हम पार्लियामेंट में घुस रहे होते हैं तो बाहर बैठे काले कुत्तों का मैंने जिक्र किया था। तो यह हमारे दिल में डर है। डर केवल यह नहीं है कि कोई आतंकवादी बम ले कर आ रहा है, कहीं न कहीं हमारा मन ही कमजोर हो गया है। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था जिसका चित भय शून्य होता है उसका सिर ऊंचा होता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम भारतीयों का चित आज भय शून्य नहीं रह गया है। इस लिए हम सिर ऊंचा कर ही नहीं सकते। अगर पेटेंट कानून के नाम पर हमसे दूर देश में बैठ हुआ धमकी देता है तो दो चार लोग सिर ऊंचा कर के कड़ी बात बोल जाएं तो बोल जाएं क्योंकि आखिर में हमें सिर झुकाना ही पड़ता है क्योंकि हमारा चित भय शून्य नहीं है। चित भय शून्य उसी का हुआ करता है जिसका सार्वजनिक जीवन सम्पूर्ण चरित्र बेदाग होता हुआ करता है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस दौर से अपनी कौम गुजर रही है हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम सब के सब बेदाग हैं। इसलिए सख्त कानून बनाना ही पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आपका भाषण समाप्त हो जाएगा अभी?

श्री जनेश्वर मिश्र: मैं तो अभी शुरू ही कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आपने अच्छी भूमिका से प्रारम्भ किया है। कोई अधिक गर्मागर्मी की बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज भाषण समाप्त नहीं होगा, प्रस्ताव पर निर्णय भी नहीं हो सकता। इसलिए घंटा आध घंटा बैठने से भी कोई लाभ नहीं होगा।

Let us adjourn the House till 11 a.m tomorrow. The House is adjourned ti. 11 a.m. tomorraw.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Wednessday, the 3rd May, 1995.